Postal Regn No./C.G./RYP DN/48/2023-25

www.dainikvishwapariwar.com

रायपुर (छ.ग.) एवं झांसी (उ.प्र.) से एक साथ प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी पत्र

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 337 ● वर्ष : 13 ● रायपुर, शुक्रवार 12 जून 2026 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रूपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

सुविचार

परिश्रम के द्वारा मंजिल तब प्राप्त होती है, जब अपना ध्यान मजबूत होता है।

Hand work begets us the destination only when we have determined meditation.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

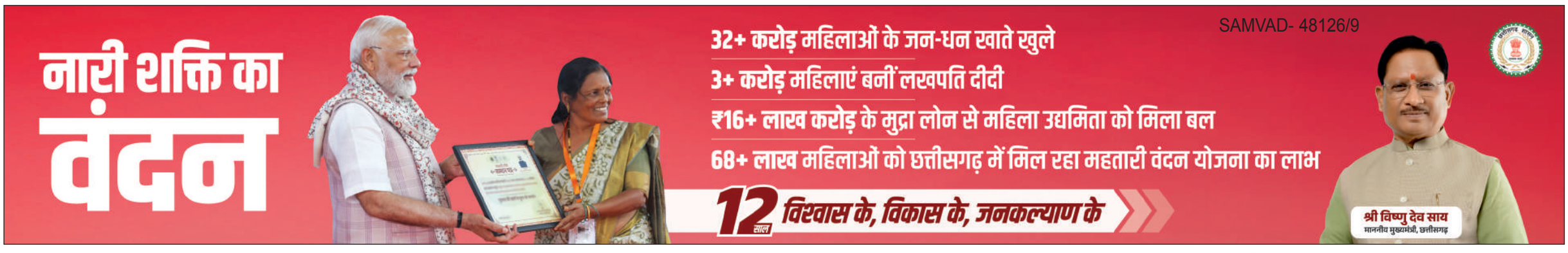

बस्तर में आमदनी दोगुनी करने का बड़ा संकल्प

बस्तर में दूध, खेतों तक पानी, युवाओं को काम और गांवों को नई पहचान देने की तैयारीः साय

- नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन
- तीन साल में हर परिवार की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाने का लक्ष्य

नई दिल्ली (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की नई तस्वीर देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि दशकों तक हिंसा की मार झेलने वाला बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास का मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, दुग्ध क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने तथा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। वहां दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेतों तक पानी पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, गांवों में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की मासिक आय बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। सरकार खेती, पशुपालन, वन उपज, छोटे उद्योग और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर काम कर रही है।

पीएम नरेंद्र मोदी से मिले कर्नाटक के कांग्रेसी सीएम डीके शिवकुमार, दिया खास तोहफा

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवकुमार ने पीएम मोदी को 12वीं सदी के महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लिंगायत संत जगद्गुरु बसवेश्वर (भगवान बसवन्ना) की चंदन की लकड़ी से बनी एक सुंदर मूर्ति भेंट की।

कर्नाटक के सीएम बनने के बाद शिवकुमार की पीएम मोदी के साथ यह पहली मुलाकात है। नीति आयोग की बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके रिकॉर्ड 12 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक जनादेश हासिल करके उन्होंने लगातार राष्ट्र सेवा का एक नया मानक स्थापित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सभी सदस्यों को अगले साल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेले और नंदा राज जात यात्रा के लिए आमंत्रित किया।

नीति आयोग की ग्यारहवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि राज्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का विरोध करता है, क्योंकि इसके लागू होने से ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्र प्रभावित हुए हैं।

वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व पर जताया भरोसा

नई दिल्ली। पीएम मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनियाभर के नेताओं की ओर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत-यूएई संबंध और मजबूत होंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई देता हूं। दोनों देशों की जनता की समृद्धि और विकास के लिए किए गए संयुक्त प्रयासों की बदौलत हाल के वर्षों में यूएई-भारत संबंधों में गुणात्मक बदलाव आया है। मुझे विश्वास है कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आने वाले समय में ये संबंध और मजबूत होंगे।

4,000 पूरे होने पर दुनियाभर के नेताओं ने दी बधाई

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने में उनके साथ काम करना सुखद अनुभव रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को साकार करने के लिए आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात रही है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने एक्स पर लिखा, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह उपलब्धि भारतीय जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है।

राज्यसभा चुनाव: 26 सीटों में से 14 पर निर्विरोध उम्मीदवार जीते

नई दिल्ली। 14 उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीत गए। इनके सामने कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं था। इनमें 10 भाजपा और 4 कांग्रेस से हैं। चुनाव जीतने वालों में कर्नाटक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा का नाम शामिल है। वहीं, राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा गुजरात से भाजपा के सभी चार राज्यसभा उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश से भाजपा के रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट की जीत हुई है। हालांकि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। दरअसल, तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास संख्या बल भी था, लेकिन 9 जून को नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। अंध्रप्रदेश की 4, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु की एक सीट पर 18 जून को वोटिंग होगी।

भाजपा से 10, कांग्रेस से 4 चुने गए

रायपुर एमजी रोड के ऑटोमोबाइल शॉप में आग, 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगीं

रायपुर (विश्व परिवार)। राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। सुबह 10 बजे से लगी आग पर रात तक काबू पा लिया गया। आग बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी। जेसीबी से शॉप के सामने का हिस्सा तोड़कर फायर कर्मी अंदर घुसे और आग बुझाने का प्रयास किया। घटना मौदहापारा थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह दुकान के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया था। बताया जा रहा एमसीबी का बटन उठाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉप के अंदर बड़ी मात्रा में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक का सामान और लुब्रिकेंट्स (ज्वलनशील तेल) रखे हुए थे, जिससे आग फैली है। आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद ली गई।

आग बुझाने के लिए 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लग चुकी हैं। आज शहर में फिल्टर प्लांट की वजह से पानी सप्लाई प्रभावित है।

अभिषेक बनर्जी पहुंचे सीआईडी ऑफिस फर्जी सिग्नेचर केस में होनी है पूछताछ

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी में टूट के बीच जांच एजेंसी भी लागातर अभिषेक बनर्जी पर एक्शन ले रही है। इसी सिलसिले में सीआईडी के दफ्तर अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं। सीआईडी कई बार उन्हें नोटिस जारी कर चुकी है। कोर्ट के आदेश पर अभिषेक सीआईडी दफ्तर पहुंचे हैं। फर्जी सिग्नेचर केस में उनसे पूछताछ होनी है। दरअसल, यह पूरा विवाद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़ा हुआ है।

चुनाव में टीएमसी को मिली बड़ी राजनीतिक चुनौती के बाद विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर भेजे गए एक लेटर पर सवाल उठाए गए थे। इसी पत्र को लेकर अब जांच चल रही है। दरअसल, अभिषेक बनर्जी पर यह आरोप है कि विधायकों का फर्जी सिग्नेचर उनके समर्थन के लिए लिया गया था।

हम ईरान के ऑइल और गैस मार्केट पर कब्जा करेंगे: ट्रंप

तेहरान। करीब दो महीने तक बनी रही शांति अब खत्म होती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम टूट चुका है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर खुली सैन्य भिड़ंत में बदल गया है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट पर इसके असर की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने दूसरे दिन भी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास स्थित मिनाब, इस्फ़हान और केशम द्वीप को निशाना बनाया गया। इनमें सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला इस्फ़हान पर बताया जा रहा है, जो ईरान के प्रमुख औद्योगिक और सैन्य केंद्रों में गिना जाता है।

एलपीजी सिलेंडर पर सख्त हुई सरकार पीएनजी अपनाने पर जोर, सिलेंडर सरेंडर करने को मिल सकता है नोटिस

नईदिल्ली। भारत सरकार अब रसोई गैस के पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है. केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध और स्ट्रेट ऑफहोर्मुज बंद होने की वजह से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़े है. एलपीजी इंपोर्ट में होर्मुज की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है. होर्मुज संकट के बाद से भारत में एलपीज से जुड़े कई नियम बदल गए हैं.

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच राहत की बड़ी खबर

दक्षिण-पश्चिम मानसूनः छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच राहत की बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और झारखंड के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान में एक मौसमी द्रोणिका पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए विदर्भ तक एक अन्य द्रोणिका बनी हुई है, जिससे राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में सबसे ज्यादा 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कापू, रघुनाथ नगर, लखनपुर, छुरा, बतौली, सरिया और कुसमी में भी 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो राजनांदगांव 44 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 21.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

जून में होगी कम बारिश

एमएल साहू, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर जनरल मौसम विभाग ने बताया कि मई-जून में कम बारिश हुई है। हालांकि अभी प्रदेश में मानसून नहीं पहुंचा है। इसके पहुंचने के बाद व्यापक बारिश होने की संभावना है। जून में अच्छी बारिश होने का ट्रेंड रहा है। इस साल देखने वाली बात होगी कि अच्छी बारिश होती है या नहीं। सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। जून में गर्मी भी पड़ने की आशंका है।

गुरु के आशीर्वाद से नरकगामी राजा श्रेणिक का हुआ उद्धारः क्षुल्लक श्री ध्यानसागर जी महाराज

रायपुर (विश्व परिवार)। राजधानी रायपुर के शंकर नगर में विराजमान पूज्य क्षुल्लक श्री ध्यानसागर जी महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि %जिन% अर्थात् कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले देव जिनके आराध्य हैं, वही सच्चे जैन हैं। उन्होंने रूप और स्वरूप के अंतर को विवेक की आंख से समझने पर जोर दिया। विज्ञान भी जैन आचार्यों के %कॉज एंड इफेक्ट% (कार्य-कारण सिद्धांत) को स्वीकार करता है। आज विज्ञान से भी रात्रि भोजन त्याग जैसे जैन नियमों की पुष्टि होती है।

महाराज श्री ने धर्मसभा में गुरु के आशीर्वाद की महिमा बताते हुए राजा श्रेणिक की प्रसिद्ध कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा श्रेणिक ने जैन मुनि यशोधर के गले में मृत सर्प डालकर घोर उपसर्ग (कष्ट) किया था, जिससे उन्हें सप्तम नरक की 33 सागर की प्रचंड आयु का बंध हुआ था। परंतु बाद में रानी चेलना के साथ जाकर जब राजा ने मुनिराज से क्षमा मांगी, तब मुनिराज ने समताभाव से दोनों को धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया।

इस असाधारण आशीर्वाद और बाद में भगवान महावीर के सानिध्य में क्षायिक सम्यक्त्व (सच्ची श्रद्धा) व 16 कारण भावनाएं भाने के प्रभाव से राजा श्रेणिक का पाप कट गया। वे सप्तम नरक के बजाय पहले नरक गए और उनकी आयु घटकर मात्र 84,000 वर्ष रह गई। यही राजा श्रेणिक का जीव आगामी उत्सर्पिणी काल में पहले तीर्थंकर भगवान महापद्म के रूप में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा। मुनि श्री ने अंत में संदेश दिया कि यदि जीव विनय, वात्सल्य और भक्ति को धारण कर ले, तो उसका शीघ्र कल्याण निश्चित है।

■ ब्रह्मचारी सौरभ भैया

रायपुर की यातायात व्यवस्था में नया अध्याय: माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ सांसद बृजमोहन ने दिखाई हरी झंडी

रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर शहर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग और CEEW (Council on Energy, Environment and Water) के संयुक्त तत्वावधान में 'माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट' को हरी झंडी दिखाई गई।इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश और CEEW के प्रतिनिधि श्री सौरभ उपस्थित रहे।

पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा यह प्रोजेक्ट :- इस 45 दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर की आवश्यकता को देखते हुए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक ट्रायल नहीं है, बल्कि एक बड़ी कार्ययोजना की शुरुआत है। 45 दिनों के ट्रायल के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे न केवल रायपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

यातायात सुगम और पर्यावरण के अनुकूल सांसद ने कहा कि रायपुर के भारी ट्रैफिक को देखते हुए ये माइक्रो बसें अत्यंत उपयुक्त हैं। एसी सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल नागरिकों को आरामदायक सफर देंगी, बल्कि सड़कों पर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या को कम कर ट्रैफिक का दबाव भी घटाएंगी। इससे शहर में जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी।

ऑटो चालकों के लिए भी बढ़ेगा व्यवसाय :- ऑटो चालकों की चिंताओं पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सेवा के शुरू होने से लोगों का सार्वजनिक परिवहन की ओर रुझान बढ़ेगा। जब लोग अपने निजी वाहन छोड़कर सड़कों पर निकलेंगे, तो वे बसों के साथ-साथ ऑटो का भी उपयोग करेंगे, जिससे अंततः ऑटो चालकों का व्यवसाय भी बढ़ेगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./31842/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31842
वार्ड का नाम-66- वामन राव लाखे वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 66 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR664B0263A** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **KISHOR KUMAR AGRAWAL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LATE. RAMESHWAR LAL AGRAWAL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MEENA SHARMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **CHANDRASHEKHAR SHARMA** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./31995/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31995
वार्ड का नाम- 40- दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 40 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR569B00760** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **SARANG DESHPANDE** पिता/पति, श्री/श्रीमती **NEELKANTH DESHPANDE** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MITHILESH RAMETKAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SHYAM PRASAD RAMETKAR** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./32005/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32005
वार्ड का नाम- 67- भक्तमाता कर्मा वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 67 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR663FNE026** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **KAMLESH DEVI AGRAWAL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **KISHOR KUMAR AGRAWAL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **NATABAR JHA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SANTOSH KUMAR JHA** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./31997/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31997
वार्ड का नाम- 40- दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 40 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR569H00338** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **NEETA AGRAWA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **NAVEEN AGRAWAL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **NISHA SINGH** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAVINDRA SINGH** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-03)
शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, रायपुर
E-mail ID - rmczone3@gmail.com

पत्र क्र./31980/ न.पा.नि./जोन क्र.-3/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31980
वार्ड का नाम- 30 - शंकर नगर वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 30 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR331G00185** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SMT. SUKHMINDER KAUR CHAWLA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **W/O LATE G.S. CHAWLA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1. चंद्रजीत सिंह चावला 2. हरप्रीत कौर** पिता/पति, श्री/श्रीमती **पिता - स्व. श्री गुरबक्श सिंह चावल** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत हक त्याग विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्रीमती प्रीति सिंह
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(3)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-03)
शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, रायपुर
E-mail ID - rmczone3@gmail.com

पत्र क्र./31979/ न.पा.नि./जोन क्र.-3/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31979
वार्ड का नाम- 30 - शंकर नगर वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 30 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR331B00198** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **RAVI JAIN S/O LATE PANNALAL JAIN, SHREYANSH JAIN S/O RAVI JAIN** पिता/पति, श्री/श्रीमती .... के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1. ANAND KUMAR AGRAWAL 2. KAVITA AGRAWAL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **1. S/O S . N AGRAWAL 2. W/O ANAND KUMAR AGRAWAL** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्रीमती प्रीति सिंह
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(3)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-8)
मोहबा बाजार, रायपुर
E-mail ID - rmczone8@gmail.com

पत्र क्र. /31969/ न.पा.नि./जोन क्र.-8/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31969
वार्ड का नाम- 21 - शहीद भगतसिंह वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 21 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR813C00289** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **RAJESH MESHRAM** पिता/पति, श्री/श्रीमती **KB MESHRAM** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **NANDANI SEN** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LALIT SEN** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्रीमती राजेश्वरी पटेल
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(8)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-8)
मोहबा बाजार, रायपुर
E-mail ID - rmczone8@gmail.com

पत्र क्र. /32040/ न.पा.नि./जोन क्र.-8/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32040
वार्ड का नाम- 21 - शहीद भगतसिंह वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 21 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR813F00546** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SMT RATNA SAHU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **B. R SAHU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SHAILI KANSAL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **NEERAJ KUMAR KANSAL** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्रीमती राजेश्वरी पटेल
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(8)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./31935/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31935
वार्ड का नाम-68- डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 68 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR567C00243** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **SANTURAM VERMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **CHAITARAM VERMA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **KRISHNA KUMAR VERMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **BUDHRAM VERMA** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./32018/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32018
वार्ड का नाम- 40- दीन दयाल उपाध्याय वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 40 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR569B00830** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **GYAN NARAYAN GAUTAM** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SIDDH GOPAL GAUTAM** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1. JAYA PHULJHELE W/O N.L PHULJHELE 2. ANKUR PHULJHELE S/O N.L PHULJHELE** पिता/पति, श्री/श्रीमती .... ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31787/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31787
वार्ड का नाम- 8 - महात्मा गांधी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 8 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226J00525** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **RAJU SONI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LATE G. L. SONI** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **कृष्ण पाल गुप्ता** पिता/पति, श्री/श्रीमती **राम निवास गुप्ता** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-7)
मंगलम काम्प्लेक्स अग्रसेन चौक, रायपुर
E-mail ID - rmczone7@gmail.com

पत्र क्र./32079/ न.पा.नि./जोन क्र.-7/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32079
वार्ड का नाम-24 - सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 24 स्थित/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR818A00078** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **GUHARAM** पिता/पति, श्री/श्रीमती **KEHRI RAM SAHU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1.इनबती पति- स्व. गुहाराम साहू 2. सेवकराम पिता-स्व. गुहाराम साहू 3. टेकराम पिता-स्व. गुहाराम साहू 4. शिवकुमार पिता-स्व. गुहाराम साहू 5. धानबाई पिता-स्व. गुहाराम साहू 6. उर्मिला पिता-स्व. गुहाराम साहू 7. जामबाई पिता-स्व. गुहाराम साह** पिता/पति, श्री/श्रीमती .... ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **शपथ पत्र (मृत्यु प्रमाण पत्र) राजस्व अनुवृत्ति आदेश** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री अरूण ध्रुव
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-7
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-7)
मंगलम काम्प्लेक्स अग्रसेन चौक, रायपुर
E-mail ID - rmczone7@gmail.com

पत्र क्र./32078/ न.पा.नि./जोन क्र.-7/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32078
वार्ड का नाम-24 - सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 24 स्थित/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR818D0058** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **MAHESH** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAMU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1.MALTI JANGHEL W/O LATE MEHATTAR JANGHEL 2.LATA VERMA D/O LATE MEHATTAR JANGHEL 3.LAXMI VERMA D/O LATE MEHATTAR JANGHEL 4.ANAND JANGHEL S/O LATE MEHATTAR JANGHEL 5.LOMESH JANGHEL S/O LATE MEHATTAR JANGHEL** पिता/पति, श्री/श्रीमती .... ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **शपथ पत्र (मृत्यु प्रमाण पत्र) राजस्व अनुवृत्ति आदेश** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री अरूण ध्रुव
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-7
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./32090/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32090
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR652A00473** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **SHEKH ABDUL KALAM** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SHEKH ANU HUSAIN** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MOHAMMAD SAFI KHAN** पिता/पति श्री/श्रीमती **S/O KARIM BAKS** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./31950/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31950
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR652F0130A** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **SANJAY HINDUJA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LAXMAN DAS HINDUJA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1) SAVNI BAI 2) KANTILATA MARKAM 3) TANUJA MARKAM** पिता/पति श्री/श्रीमती **C/O DAYAL SINGH** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./31954/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31954
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR652A00120** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **SHYAM DAS HIWAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **DAMODAR DAS HIWAR** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MD SAHIL**पिता/पति श्री/श्रीमती **MD AAKA** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./32092/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32092
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR652B00788** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **RAMESH MAHILANG** पिता/पति, श्री/श्रीमती **PANNE LAL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SUKHDEV BANJARE** पिता/पति श्री/श्रीमती **S/O LT MAHETARU BANJARE** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **MALMA BIKRI NAMA** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./32004/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32004
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR663C00262** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **KESHAV KUMAR DHIWAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LATE HARIRAM JALKHATRI (DHIWAR)** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **UPENDRA SAHU, CHAMESHWAR SAHU** पिता/पति श्री/श्रीमती **TIKA RAM SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **MALMABIKRINAMA** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./31949/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31949
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR652F00245** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **ANUP SINGH PARIHAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **UDAY PRATAP SINGH** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1. OMESHWARI SINHA 2) CHHAGAN LAL** पिता/पति श्री/श्रीमती **1) W/O CHHAGAN LAL 2) PAWAN KUMAR** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./31991/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31991
वार्ड का नाम-60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR653B00067** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **DILIP KUMAR YADU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **PARAS RAM YADU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SITA SEN** पिता/पति श्री/श्रीमती **W/O LAL SINGH SEN** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **MALMA BIKRINAMA** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.), फोन नं.- 0771-4903223
Email Id: eocghbzone02@gmail.com

आम-सूचना

सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि, **छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कचना फेस-1, रायपुर** में स्थित **सामान्य आवास योजनांतर्गत ई.डब्ल्यू.एस फ्लैट क्रमांक-69, ब्लॉक नं-06, द्वितीय तल, को श्री धनसिंह साहू पिता श्री नरेन्द्र साहू** के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश **क्रमांक 10247 दिनांक 08.07.2008** के द्वारा स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त फ्लैट का पूर्ण मूल्य जमा कर **दिनांक 23.06.2009** को उपपंजीयक कार्यालय से लीजडीड निष्पादित पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्र. **245 दिनांक 24.01.2013** के द्वारा आधिपत्य आदेश प्राप्त कर लिया गया है। आबंटी द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से **दिनांक 20.02.2014** को इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट को **क्रेता सुश्री मंगला यादव पिता स्व.श्री गजेन्द्र यादव, निवासी:- सीताराम सुल्तानिया, हरिकृपा कचना रोड़ रायपुर, (छ.ग.)** को विक्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तद्संबंध में इस कार्यालय के पत्र **क्रमांक 2467 दिनांक 26.02.2014** के द्वारा उक्त फ्लैट को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

वर्तमान में क्रेता **सुश्री मंगला यादव पिता स्व.श्री गजेन्द्र यादव, निवासी:- सीताराम सुल्तानिया, हरिकृपा कचना रोड़ रायपुर, (छ.ग.)** के द्वारा उक्त फ्लैट को उपपंजीयक कार्यालय से **दिनांक 03.03.2014** को विक्रय विलेख पंजीकृत कराने उपरांत अपने नाम पर नामातंरण करने हेतु इस कार्यालय में अपना विक्रय विलेख शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त फ्लैट के नामांतरण के सबंध में किसी व्यक्ति शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय बैंक अथवा वित्तिय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./31990/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31990
वार्ड का नाम- 59 मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 59 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR653J0108A** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **AJIT SANJIT SASHI** पिता/पति, श्री/श्रीमती .... के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **LATA TANDI** पिता/पति श्री/श्रीमती **W/O LATE AJIT TANDI** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **CERTIFICATE AND SAHMATI PATRA** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
श्री हितेन्द्र यादव
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./32091/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32091
वार्ड का नाम- 60 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.-**RPR652A00171** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **BHANUMATI VERMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **MANHARAN LAL VERMA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **RIZWANA BANO** पिता/पति श्री/श्रीमती **W/O ABDUL ATIK** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
श्री हितेन्द्र यादव
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-6)
आई.एस.बी.टी. चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

पत्र क्रं./31544/न.पा.नि./जोन क्रं. 6/2026
रायपुर दिनांक : 09-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31544
वार्ड का नाम- 59 मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 59 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR651C00414** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **1. MONI SINGH GAHLOT W/O PANKAJ SINGH GAHLOT, PANKAJ SINGH GAHLOT S/O CHHABI SINGH GAHLOT** पिता/पति, श्री/श्रीमती **PANKAJ SINGH GAHLOT** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **KAMALA AGRAWAL/GANESH PRASAD AGRAWAL** पिता/पति श्री/श्रीमती **KHEMCHAND AGRAWAL** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
श्री हितेन्द्र यादव
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

www.dainikvishwapariwar.com
vishwapariwarraipur@gmail.com

दैनिक
विश्व परिवार

सूरजपुर

रायपुर, शुक्रवार 12 जून 2026

राष्ट्रपति भवन पंडोनगर में शिक्षक-पालक-बालक बैठक की गई आयोजित

विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह स्वयं बैठक में हुए उपस्थित

सूरजपुर ब्यूरो (बिश्रामपुर)- जिला कलेक्टर रेना जमील से प्राप्त मार्गदर्शन अनुरूप आज पंडोनगर स्थित राष्ट्रपति भवन में ग्राम सरपंच श्रीमती बसंती पंडो के नेतृत्व में पालक-शिक्षक एवं बालक सह शाला प्रबंधन एवं विकास समिति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला पंडोनगर के पालक-शिक्षक एवं बच्चों के मध्य संवाद आयोजित की गई। इस बैठक में शैक्षिक सत्र 2026- 27 हेतु बच्चों की दर्ज संख्या की जानकारी लेते हुए शैक्षिक सत्र के दौरान आने वाली परेशानियों को बच्चों के माता श्रीमती इंदरमती पंडो, श्रीमती सुहारो पंडों तथा श्रीमती हीरामणि पंडो सहित बच्चों सुप्रिया पंडों तथा शिवानी पंडो एवं सरपंच श्रीमती बसंती पंडो एवं बुधनाथ पंडो से जानने का प्रयास किया गया। उपस्थित बच्चों के माता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने, विद्यालय से पढ़कर लौटकर आने पर उन्होंने पढ़ने बैठाने हेतु सहमति दी गई, आप सभी चाहते हैं कि पंडोनगर के बच्चे भी पढ़ लिखकर आगे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने तथा समाज की सेवा करें। विद्यालय की स्वच्छता एवं साफसफाई सहित 16 जून से ही विद्यालय में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, शिक्षक डायरी लेखन व उसी दिन से मध्याह्न भोजन बनाकर खिलाने को कहा गया। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच आगर साय पंडो, संकुल प्राचार्य आई. डी .खलखो, अजबनगर प्राचार्य वर्जिनिया केरकेट्टा, युगल किशोर निकुंज, श्रीमती शशि जायसवाल, बीआरपी पंकज सिंह, त्रय शैक्षिक समन्वयक शिव खैरवार, अमलचंद दास, नवीन जॉन, श्रीमती सुसन्ना एक्का, कमलाभनी, पूनम राजवाड़े, श्रीमती सावित्री कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, धर्मेंद्र कुमार रवानी, विवेक कुमार तिग्गा, दीपक केरकेट्टा, ठाकुर प्रसाद, राकेश पटवा, राजकुमार गर्ग, सीमांचल त्रिपाठी, अनुजनगर, कैलाशपुर तथा सिलफिली संकुल के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के समस्त प्रधान पाठक, शाला विकास समिति के समस्त सदस्य सहित बड़ी संख्या में अध्यनरत बच्चे एवं उनके पालक उपस्थित रहे। आज डोर टू डोर सर्वे करके माध्यमिक शाला में 22 तथा प्राथमिक शाला में 8 छात्र-छात्राओं का नाम शाला पंजी में इन्द्राज किया गया। बस्तामुक्त विद्यालय शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुनियाडीह के प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी द्वारा युवा साथी फउंडेशन के संस्थापक डॉ रजनीश गर्ग से पंडोनगर में अध्यनरत समस्त बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ध्यान में रखकर डाबर कंपनी के प्रोडक्ट प्रदान करने के आग्रह पर अपने सहयोगी कार्तिक राम निषाद तथा धर्मेंद्र साहू के माध्यम से ग्लूकोस, वॉटर बॉटल, ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल व स्कूल किट(पेन, पेंसिल, रबर, कटर व स्केल पट्टी) उपलब्ध कराया गया, जिसका वितरण प्राथमिक व माध्यमिक शाला के समस्त बच्चों, उपस्थित शिक्षकों तथा ग्राम वासियों को किया गया।

संक्षिप्त समाचार

शिवनंदनपुर नगर पंचायत के शपथ ग्रहण एवं प्रथम सम्मेलन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा 17 फरवरी 2025 के आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 55 एवं 55(क) के तहत नगर पंचायत शिवनंदनपुर के शपथ ग्रहण एवं प्रथम सम्मेलन के संचालन के लिए श्रीमती शिवानी जायसवाल को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण तथा प्रथम सम्मेलन की कार्यवाही संपन्न करायी जाएगी।

सैमसंग ने 'द बिग बिस्पोक एआई फेस्ट' की घोषणा की, घरेलू उपकरणों पर आकर्षक समर ऑफर्स

गुरुग्राम: सैमसंग इंडिया ने 'द बिग बिस्पोक एआई फेस्ट' की घोषणा की है, जो 12 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान कंपनी अपने बिस्पोक एआई होम अप्लायंसेज पोर्टफोलियो पर आकर्षक समर ऑफर्स दे रही है। चुनिंदा बिस्पोक एआई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू उपकरणों पर ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का कैशबैक और एक्सटेंडेड वारंटी जैसे लाभ मिलेंगे, जिससे इस गर्मी में एआई-समर्थित स्मार्ट जीवनशैली अपनाना आसान होगा। ऑफर के तहत, चुनिंदा रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीदने वाले ग्राहक सैमसंग केयर+ के माध्यम से एक वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदकर अतिरिक्त दो वर्ष की वारंटी नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर पर ग्राहक केवल 99 रुपये में एक वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी का लाभ उठा सकते हैं। चुनिंदा टॉप-लोड वॉशिंग मशीनों के इंस्टॉलेशन के समय ग्राहकों को मुफ्त फिल्टर भी दिया जाएगा, जो मशीन को धूल और जंग से बचाकर उसकी आयु बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा, सैमसंग फाइनेंस+ के माध्यम से खरीदारी करने पर ग्राहकों को 1000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। यह पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे खरीदारी का अनुभव आसान होने के साथ इसकी पहुंच भी बढ़ती है। इसके अलावा, एयर कंडीशनर खरीदने वाले ग्राहकों को 5 वर्ष की कंप्रिहेंसिव वारंटी का लाभ मिलेगा, जो उत्पाद की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त भरोसा देता है। 'द बिग बिस्पोक एआई फेस्ट' के ऑफर Samsung.com, प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। सैमसंग के बिस्पोक एआई अप्लायंसेज एडवांस्ड एआई और स्मार्ट कनेक्टिविटी तकनीक से लैस हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक स्मार्ट, सहज और ऊर्जा-कुशल अनुभव प्रदान करते हैं। बिस्पोक एआई एयर कंडीशनर तेज कूलिंग के साथ एयरफ्लो को स्वत: समायोजित करते हैं, जिससे लंबे समय तक आरामदायक वातावरण बना रहता है। स्मार्टथिंग्स होम केयर फीचर उपकरणों के प्रदर्शन की निगरानी करता है और गैस की कमी या फिल्टर की सफाई जैसी संभावित समस्याओं की जानकारी पहले ही दे देता है। किचन के लिए बिस्पोक एआई रेफ्रिजरेटर सैमसंग के कनेक्टेड इकोसिस्टम के माध्यम से एआई-आधारित सुविधा और सुगम होम मैनेजमेंट अनुभव प्रदान करते हैं। वहीं, बिस्पोक एआई वॉशिंग मशीनें धुलाई की जरूरत के अनुसार वॉश साइकिल को अनुकूलित कर प्रभावी और दक्ष सफाई सुनिश्चित करती हैं।

खनिज विभाग की त्वरित कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 04 ट्रैक्टर जप्त

धमतरी। महानदी में अवैध रेत खनन मिली शिकायत में खनिज विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम करेलीबड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए 04 ट्रैक्टर वाहनों को जप्त किया गया है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जप्त वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग ने बताया कि पूर्व में भी ग्राम करेलीबड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 03 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 32 हजार 430 रुपये का अर्थदण्ड वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराया गया है।

पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन की दिशा में पहल कलेक्टर ने किया जिला संयुक्त कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण

नकल शाखा एवं अभिलेखागार का बारीकी से अवलोकन

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं अनुशासित बनाने तथा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने आज जिला संयुक्त कार्यालय के विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से कार्यालयीन कामकाज में सजगता का संदेश गया तथा अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यप्रणाली और बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन मिला।

निरीक्षण की इस कड़ी में कलेक्टर ने नकल शाखा का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राजस्व, खसरा एवं नक्शों से संबंधित दस्तावेजों की नकल प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और आमजन के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नकल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए तथा आमजन की सुविधा की दृष्टि से नकल कक्ष के बाहर नकल संबंधी निर्धारित शुल्क व नियमों का बोर्ड लगाया जाए, ताकि लोगों को प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने अभिलेखागार की व्यवस्था एवं दस्तावेजों के सुव्यवस्थित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से पंजीबद्ध किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अभिलेख सहजता से उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओआईसी व प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से शाखा की मॉनिटरिंग करें तथा कार्यालय परिसर की साफ-सफाई दुरुस्त रखें।

इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश मोर सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध खनिज परिवहन पर सख्त कार्रवाई: बिना अभिवहन पास चूना पत्थर गिट्टी से भरे तीन ट्रेलर जब्त

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला एवं जिला स्तरीय टास्कफोर्स की निरंतर निगरानी जारी

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 11 जून को खनिज अमला सूरजपुर द्वारा तहसील प्रेमनगर के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में खनिज वाहनों की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान तारा मुख्य मार्ग पर खनिज गिट्टी (चूना पत्थर) से भरे 03 ट्रेलर वाहन पाए गए, जो जिला जांजगीर-चांपा स्थित क्रशर से लोड होकर बिना अभिवहन पास के परिवहन करते पाए गए। नियमानुसार वाहन मालिकों के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों वाहनों को पुलिस थाना प्रेमनगर के सुरक्षार्थ में रखा गया है। खनिज अमला एवं जिला स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा खनिजों के खनन, परिवहन एवं भण्डारण से प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।

स्कोडा ऑटो ने भारत में बढ़ाईआरएस विरासत, नई कोडियाक आरएस एसयूवीलॉन्च करने का किया ऐलान

स्कोडा ऑटो इंडिया अपनी हाई-परफॉर्मेंस आरएस रेंज को नई कोडियाक आरएस के साथ और मजबूत करने जा रही है। 50 वर्षों से अधिक पुरानी आरएस विरासत और 125 वर्षों से ज्यादा के मोटरस्पोर्ट इतिहास पर आधारित यह नया मॉडल ब्रांड की परफॉर्मेंस-उन्मुख पहचान को और मजबूती देता है। 22 जून 2026 से बुकिंग के लिए उपलब्ध होने वाली कोडियाक आरएस दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, सात-सीटर लग्ज़री की बहुउपयोगिता और 4×4 तकनीक से लैस बेहतर ऑल-टेरेन क्षमता का बेहतरीन मेल पेश करती है। इस घोषणा पर स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा, आरएसबैज 50 वर्षों से अधिक की वैश्विक परफॉर्मेंस विरासत का प्रतीक रहा है और भारत में भी ऑक्टाविया आरएस के दो दशक पहले आगमन के बाद से इसका बेहद मजबूत प्रशंसक वर्ग रहा है। पिछले साल लॉन्च हुई नई ऑक्टाविया आरएस केवल 20 मिनट में पूरी तरह बिक गई थी, जिसने ऑटोमोबाइल उत्साहियों के बीच इसकी खास लोकप्रियता को साबित किया। अब हम इसी विरासत को कोडियाक आरएस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह भारत में प्रतिष्ठित आरएस बैज पाने वाली हमारी पहली सात-सीटर है और देश में अब तक की सबसे तेज़ स्कोडा भी। यह परफॉर्मेंस, स्पेस और 4×4 क्षमता को हमारी रेसिंग विरासत की दमदार पहचान के साथ पेश करती है।

कोडियाक आरएस: परफॉर्मेंस इसकी पहचान- आरएस बैज, जिसका अर्थ रैली स्पोर्ट है, स्कोडा ऑटो की परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वैश्विक स्तर पर आरएस मॉडल्स अपनी दमदार क्षमता, बेहतरीन प्रिसिजन और रोमांचक ड्राइविंग अनुभव के लिए जाने जाते हैं। कोडियाकआरएस के साथ यह दर्शन अब भारत के लग्ज़री एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश कर रहा है, जो बहुउपयोगी और ऑल-टेरेन क्षमता वाले पैकेज में और भी ज्यादा शार्प तथा रोमांचक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। कोडियाक आरएस ब्रांड की 'डिफरेंशिएशन' रणनीति को भी दर्शाता है, जो हर तरह की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई एसयूवी के जरिए उसके पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाता है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण हेतु 4.94 करोड़ रुपए स्वीकृत

464 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी सुदृढ़, किसानों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथान स्थित बृजेश्वर सागर जलाशय योजना के नवीनीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 94 लाख 13 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत इस कार्य के पूर्ण होने पर 464 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण से भैयाथान क्षेत्र के किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और खेती अधिक लाभकारी बन सकेगी।

योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। यह परियोजना क्षेत्र में जल संरक्षण एवं कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सुशासन तिहार में मछुआ सहकारी समिति को एनएफडीपी प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल वितरित

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)-छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार के समापन समारोह के अवसर पर ग्राम पंचायत कुदरगढ़, विकासखंड ओड़गी, जिला सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कालामाजन जलाशय में मत्स्य पालन कार्य कर रही आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, कालामाजन को राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम (एनएफडीपी) के अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन सूरजपुर के मार्गदर्शन में किया गया। कलेक्टर श्रीमती रैना जमील एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर श्री विजेंद्र पाटले के निर्देशन में जिले में मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड ओड़गी के कालामाजन जलाशय में मत्स्य पालन कार्य कर रही आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, कालामाजन को एनएफडीपीप्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामसेवक पैकरा, अध्यक्ष, वन विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा समिति के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री प्रतिनिधि श्री ठाकुर प्रसाद रजवाड़े ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि राज्य शासन द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, मछुआरों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र समितियों एवं मछुआरों तक पहुंचाया जा रहा है।

कालामाजन जलाशय में मत्स्य पालन कार्य कर रही समिति को प्राप्त एनएफडीपी प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ समिति के सदस्यों की आजीविका सुदृढ़ होगी। आधुनिक मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र के मछुआरों को भी लाभ प्राप्त होगा।

कार्यक्रम में श्रीमती कुसुम सिंह, जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती इन्द्रमणि पैकरा, अध्यक्ष जनपद पंचायत ओड़गी, श्री सत्यनारायण पैकरा, मंडल अध्यक्ष ओड़गी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मत्स्य विभाग की ओर से श्री एम.एस. सोनवानी, सहायक संचालक, मत्स्य पालन विभाग, सूरजपुर तथा श्री डिगेश्वर सिंह कंवर, मत्स्य निरीक्षक, ओड़गी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, मछुआ समिति के सदस्यों एवं हितग्राहियों ने सहभागिता की। लाभार्थी समिति के प्रतिनिधियों ने शासन, जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता से मत्स्य पालन कार्यों को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

संपादकीय

फुलाया गया गुब्बारा फूट चुका

फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से सिर्फ दस दिन पहले फीफा को सस्ते में प्रसारण अधिकार बेचने पड़े हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर फुलाया गया गुब्बारा अब फूट चुका है। ज़ी ग्रुप का फिर से खेल प्रसारण के क्षेत्र में उतरना अच्छी खबर है। रिलायंस ग्रुप के डिज्नी हॉटस्टार को खरीद लेने और सोनी लिव के भारतीय बाजार में हाथ खींच लेने के बाद जियो-हॉटस्टार की लगभग मोनोपॉली बन गई थी। अब ज़ी ग्रुप ने 11 जून से शुरू हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का टीवी एवं डिजिटल प्रसारण अधिकार खरीद कर फिर से प्रतिस्पर्धा की संभावना जगाई है। बहरहाल, इस क्रम में भारतीय खेल प्रसारण बाजार के सिकुड़ने के संकेत भी मिले हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार रिलायंस ग्रुप के वायकॉम-18 एवं जियो सिनेमा ने तकरीबन छह करोड़ डॉलर में खरीदे थे। अब चार साल ज़ी ने 2026 और 2030 के वर्ल्ड कप समेत फीफा के नौ टूर्नामेंट्स के प्रसारण का अधिकार सिर्फ साढ़े तीन करोड़ डॉलर में खरीद लिए हैं। बताया जाता है कि 2022 में वर्ल्ड कप प्रसारण के दौरान सिर्फ करीब 300 करोड़ रुपये के विज्ञापन ही जुटाए जा सके। इस कारण इस बार इस टूर्नामेंट का बाजार भाव गिर गया। फीफा ने आरंभिक कीमत सिर्फ 2026 के टूर्नामेंट के लिए 10 करोड़ डॉलर रखी थी। जियो हॉटस्टार ढाई करोड़ डॉलर से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुआ। सोनी भी शुरुआती बातचीत के बाद मैदान से हट गया। तो टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ दस दिन पहले फीफा को सस्ते में प्रसारण अधिकार बेचने पड़े। यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर फुलाया गया गुब्बारा अब फूट चुका है। कुछ समय पहले ये गौरतलब खबर आई थी कि जियो हॉटस्टार आईसीसी के साथ अपने क्रिकेट प्रसारण समझौतों पर फिर से सौदेबाजी करना चाहता है। इसका कारण है कि मीडिया अधिकार पाने की लागत बहुत अधिक (138 करोड़ रुपये प्रति मैच) पड़ी है, जबकि विज्ञापन राजस्व उतना नहीं है। आम समझ है कि अगले साल जब फिर से मीडिया अधिकार बिकेंगे, तो आईसीसी को पहले से कम भाव पर ये बिक्री करनी होगी। तो कुल मिला कर सिर्फ आईपीएल हॉट प्रोप्रटी बना हुआ है, हालांकि इस वर्ष उसकी टीवी दर्शक संख्या पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

फाइबर अर्थव्यवस्था-भारत का अगला बड़ा वैश्विक अवसर

■ स्थानीय प्रचुरता से सतत सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में वैश्विक नेतृत्व तक

श्री गिरिराज सिंह

फाइबर के साथ भारत का 5,000 बरस पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गाँवों, परंपराओं तथा सामूहिक पहचान में गहराई से गुँथा है। बुनी हुई हवा कहलाने वाली मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर समस्त महाद्वीपों तक फैली भारतीय कारीगरी तक — फाइबर हमेशा से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा रहा है। आज, जब दुनिया वैश्विक स्थिरता की क्रांति की कगार पर खड़ी है, तब यही प्राचीन ज्ञान हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है। दशकों तक केले के पेड़ के तने को बेकार अपशिष्ट मानकर फेंक दिया जाता था। आज वही बायोमास प्रीमियम फाइबर बनकर निर्यात बाज़ारों की मांग पूरी कर रहा है, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बना रहा है और इस कृषि अवशेष को राष्ट्रीय आय में बदल रहा है। अपशिष्ट से समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक — यही भारत की न्यू एज फाइबर मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यू एज फाइबर ऐसे टिकाऊ एवं पौधों-आधारित पदार्थ हैं, जो भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं। बांस, भाँग, केला, पीएएलएफ, फ्लैक्स, रेमी, सिसल, मिल्कवीड और कपोक जैसे फाइबर सदियों से मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वस्त्र उद्योग, रक्षा, बायोडिग्रेडेबल कंपोज़िट्स और प्रीमियम उत्पादों में उच्च-मूल्य उपयोगों के लिए नए सिरे से खोजा जा रहा है। ये हरित भविष्य के लिए भारत के प्राकृतिक फाइबर भंडार का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती आय, वैश्विक स्थिरता संबंधी अनिवार्यताएँ और ट्रेसेबल सोर्सिंग की आवश्यकताएँ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को पूरी तरह बदल रही हैं और एक नई फाइबर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। उपभोक्ता अब अपने पहनने के कपड़ों में आराम, पसीना सोखने की क्षमता या ब्रीदेबिलिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यही महत्वकपूर्ण बदलाव भारत में फाइबर की खपत को आज के 15 एमएमटी से बढ़ाकर 2030 तक 23 एमएमटी तक ले जाने वाला है। दुनिया अब तेजी से वही तलाश रही है, जिसे भारत प्रदान कर सकता है : नैतिक, टिकाऊ और उच्च-प्रदर्शन वाले प्राकृतिक फाइबर, जो सदियों के अनुभव पर आधारित हैं। इस विजन को एक स्पष्ट संस्थागत एवं नीतिगत ढाँचे का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2026ङ्क2031 के लिए 5,664 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत न्यू एज फाइबर्स के लिए 300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इस प्रयास को और सशक्त बनाते हुए, केंद्रीय बजट 2026ङ्क27 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर मिशन एक व्यापक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करता है, जो चार प्रमुख स्तंभों : कृषि-सूत्र- खेती और कच्चे माल के विकास के लिए, इन्फिनिटी-अनुसंधान एवं नवाचार के लिए, ग्राम-सेतु - अवसंरचना और उद्यम सृजन के लिए, तथा जीएमपीएस: ब्रांडिंग और बाज़ार विकास के लिए - पर आधारित है । इस नीतिगत ढाँचे की शक्ति दशकों से जारी वैज्ञानिक अनुसंधान में निहित है, जिसे ठोस परिणाम पहले से ही सामने आ चुके हैं। मिल्कवीड (आक/मदार) जिसे पारंपरिक रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एनआईटीआरए) में 18 वर्षों के अनुसंधान के बाद एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया है। अब इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र में, विशेषकर ङ्क20एष्ट तापमान में कार्यरत सैनिकों के लिए स्लीपिंग बैग बनाने में किया जा रहा है। ये स्लीपिंग बैग अपने पॉलिएस्टर विकल्पों की तुलना में 10त्न हल्के, ऊन से अधिक गर्म तथा सीएलओ/सेल प्रमाणित हैं। 55 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि पर बिना उर्वरक के उगाए जाने पर यह पौधा किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 1.5ङ्क2 लाख रुपये तक की आय प्रदान करने की क्षमता रखता है। केले का फाइबर प्रतिवर्ष लगभग 1.8 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता रखता है और कृषि अवशेषों से किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है, जबकि बांस प्रति हेक्टेयर 60 टन तक बायोमास उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के लिए बड़े अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। भाँग भी एक उभरता हुआ वैश्विक बाज़ार बन रहा है, उत्तराखंड

और उत्तर प्रदेश में जिसकी खेती की पहले से ही अनुमति है। फ्लैक्स, सिसल, रेमी, पीएएलएफ बिछुआ या नेटल और कपोक जैसे फाइबरों के साथ मिलकर ये सभी भारत के टिकाऊ एवं प्राकृतिक फाइबर आधार का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक गति को आगे बढ़ाते हुए,न्यू एज फाइबर्स पर राष्ट्रीय सेमिनार एक ऐसे मंच के रूप में उभरा, जहाँ विज्ञान, नीति और उद्यम एक साथ आ सके। इसने शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, किसान संगठनों, उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति-निर्माताओं को एक ही मंच पर एकत्रित किया। सभी दस प्राथमिकता प्राप्त फाइबर्स को कवर करने वाले तीन कार्य बलों की रिपोर्टें जारी की गईं, जिन्होंने क्षेत्रीय विज्ञान को सीधे योजनाओं के डिज़ाइन और निवेश की प्राथमिकताओं में बदल दिया। इस सेमिनार ने मानकों, प्रसंस्करण अवसंरचना और संस्थागत वित्तपोषण में मौजूद खामियों की भी स्पष्ट रूप से पहचान की , जो एक ऐसे मिशन को दर्शाता है जो केवल नीति नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन पर केंद्रित है। इसमें प्रमुख प्राथमिकताएँ: उत्पादन को पाँच वर्षों में 10,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुँचाना, गुणवत्ता मानकों का विकास करना, मशीनरी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना, आयातित प्रसंस्करण तकनीक पर निर्भरता कम करना और खेती से लेकर मूल्य संवर्धन तक क्लस्टर आधारित फाइबर इकोसिस्टम का निर्माण करना सामने आईं। ये सभी कदम मिलकर न्यू एज फाइबर्स को ग्रामीण समृद्धि और टिकाऊ विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मिशन बनाते हैं। शायद सबसे परिवर्तनकारी कार्य फाइबर ब्लेंडिंग है। भारत की वास्तविक शक्ति किसी एक फाइबर में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से संयोजित करने में निहित है—जैसे थर्मल हल्केपन के लिए मिल्कवीड, गर्माहट के लिए ऊन, ब्रीदेबिलिटी के लिए बांस, और कोमलता के लिए कपास। मिश्रित कपड़ा या ब्लेंडेड फैब्रिक कोई समझौता नहीं है; यह प्रदर्शन को उन्नत बनाना है - ऐसे कपड़े तैयार करना जो अधिक मजबूत, अधिक स्मार्ट और अधिक टिकाऊ हों, साथ ही बेहतर आराम, नमी सोखने की क्षमता, टिकाऊपन तथा फैशन, जीवनशैली और तकनीकी वस्त्रों में बहुपयोगिता प्रदान करें। इसके लाभ पूरी मूल्य शृंखला में फैलते हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर आराम और कार्यक्षमता मिलती है, निर्माताओं को प्रीमियम और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने का अवसर मिलता है, और किसानों को विविध प्रकार की मांग तथा अधिक मजबूत आय प्राप्त होती है। भारत के लिए, ब्लेंडिंग या मिश्रण केवल एक तकनीकी नवाचार भर नहीं है; यह कच्चे फाइबर आपूर्ति से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, मूल्य-संवर्धित और भारतीय पहचान से जुड़े ब्रांड्स तक पहुँचने का एक सेतु है। असल में, न्यू एज फाइबर मुहिम जीवन को रूपांतरित करने, किसानों के लिए अवसर सृजित करने, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं को सशक्त करने और उद्यमियों को स्थानीय संसाधनों से वैश्विक व्यवसाय खड़ा करने में सक्षम बनाने के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रक मोदी के 5एफ विज़न—खेत से फाइबर, कपड़े से फैशन और विदेश तक—से प्रेरित, भारत की ग्रीन फाइबर क्रांति कोई दूर का सपना नहीं है। रणनीति तय है, संस्थान सक्रिय हैं, विज्ञान प्रमाणित हो चुका है, और उद्यमी तैयार हैं। आज भारत जो कर रहा है—फाइबर दर फाइबर, मिश्रण दर मिश्रण, क्षेत्र दर क्षेत्र, और खेत दर खेत—अपनी वस्त्र गाथा का अगला महान अध्याय लिख रहा है।

(लेखक केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं)

आलेख

ग्रिड प्रबंधन और ऊर्जा साक्षरता पर जोर

वैश्विक तनाव की पृष्ठभूमि और गर्मी के मौसम में बढ़ते पारे ने निर्बाध बिजली आपूर्ति को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। देश की अधिकतम विद्युत

मांग विगत वर्षों में लगातार बढ़ी है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते भारत में विद्युत मांग में बढ़ोत्तरी से संकेत स्पष्ट हैं कि विदयुत क्षेत्र के लिए नई चुनौतियाँ आने वाली हैं। इस वृद्धि के कारकों में मौसम तो है ही पर हमें ध्यान देना होगा कि अब देश में तेजी से परिवहन से लेकर रसोई घर तक बिजली, ईंधन बनकर दौड़ रही है। यह सकारात्मक संकेत हैं कि विद्युत मांग में वृद्धि को देखते हुए दीर्घकालिक उपायों पर काम तेजी से चल रहा है पर यह भी जरूरी है कि एक नागरिक के नाते हम अपनी भूमिका निभाएं। पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों का सीधा असर विद्युत क्षेत्र पर पड़ा है। वर्ष 2014 में देश में पीक डिमांड 148 गीगावॉट थी जो बढ़कर इस वर्ष 25 अप्रैल को 256 गीगावॉट तक आ चुकी है। अब दो करोड़ ई-चूल्हा और लगभग 2.8 करोड़ ई-व्हीकल विद्युत खपत में और वृद्धि करने जा रहे हैं । सीईए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो समेत विभिन्न संस्थाओं के अध्ययनों के आधार पर अनुमान है कि ई-चुल्हे से 27 गीगावॉट और ई- व्हीकल से 40 गीगावॉट तक विद्युत की मांग बढ़ सकती है। देश में बीते पाँच वर्षों में एयरकंडिशनर (एसी) का उपयोग दोगुना हो गया है और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। बढ़ती विद्युत मांग से निपटने के लिए पॉवर सेक्टर में कई सुधार और नवाचार किए जा रहे हैं। उत्पादन, पारेषण और वितरण के बीच बेहतर समन्वय, बढ़ती किन्तु असमान मांग से निपटने में सबसे बेहतर विकल्प है। असल में यह वो प्रणाली है जिसमें विद्युत उत्पादन, वितरण और खपत तीनों को वास्तविक समय (रीयल टाइम) में समझा और नियंत्रित किया जा सके। इसी पूरी प्रणाली का हिस्सा है स्मार्ट मीटर, डिमांड रिस्पांस, स्मार्ट उपकरणों तथा हरित ऊर्जा का नियोजित समन्वय। स्मार्ट ग्रिड प्रणाली का बड़ा फायदा मांग प्रबंधन के तौर पर होता है। मांग प्रबंधन का अर्थ यह है कि बिजली की मांग बढ़ जाने पर उपभोक्ताओं को खपत कम करने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार की व्यवस्था निर्मित होने से पीक ऑवर में आम उपभोक्ताओं को अपनी खपत को संतुलित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है । इसके लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के तौर पर नॉन-पीक आवर में खपत करने पर छूट जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। विकसित देशों में जहाँ बिजली की खपत हमारे देश से कई गुना अधिक है वहाँ इस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। विद्युत उत्पादन , वितरण और खपत के बीच संतुलन के लिए ग्रिड प्रबंधन एक विकल्प है जिसकी सफलता स्मार्ट मीटरों के अधिकाधिक उपयोग पर निर्भर है। इसकी सहायता से विद्युत उपभोक्ता जहाँ अपनी विद्युत खपत की निगरानी कर सकता है वहीं विद्युत कंपनियाँ पल प्रतिपल विद्युत मांग और खपत की जानकारी एकत्र कर आगामी योजना पर काम कर सकती है। इससे बिजली चोरी रोकने में सफलता मिलती है वहीं वितरण हानि में कमी आने से अंततः उपभोक्ता को बेहतर सुविधा मिलती है। भारत से कई गुना अधिक खपत करने वाले विकसित राष्ट्रों में विद्युत मांग की सुगम आपूर्ति स्मार्ट ग्रिड प्रणाली से ही संभव हो पा रही है। इस प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा अनुशासन बनाए रखना संभव होता है। ऊर्जा सम्पन्नता को अनियंत्रित उपयोग की छूट समझ लेना बड़ी चूक है। दुर्भाग्य से हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर संवेदनशीलता कम ही नजर आती है। विद्युत संपन्नता जहाँ विद्युत अपव्यय की अनुमति नहीं वहीं ऊर्जा संरक्षण का अर्थ विद्युत सुविधा छोड़ना नहीं बल्कि संतुलित उपयोग से है। विकसित राष्ट्रों में ऊर्जा साक्षरता पर बड़ा जोर दिया जाता है। भारत में 28 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं जो लगभग 25 प्रतिशत बिजली की खपत करते हैं वहीं 42 प्रतिशत बिजली खपत करने वाले औद्योगिक उपभोक्ता हैं। यदि इन लोगों में ऊर्जा साक्षरता पर बल दिया जाए तो थोड़ी बचत भी करोड़ों यूनिट बिजली की बर्बादी रोक सकती है। विकसित होने के लिए ऊर्जा खपत ही महत्वपूर्ण नहीं, अधिक उपयोग की जगह स्मार्ट और जिम्मेदार उपयोग अधिक आवश्यक है। नागरिक, सरकार और उद्योग सभी स्तर पर ऊर्जा बचत जीवन शैली का हिस्सा बने। ऊर्जा समृद्ध होने के साथ ही ऊर्जा दक्ष होना भी आवश्यक है। सामान्य से लेकर विशेष वर्ग में ऊर्जा अनुशासन और ऊर्जा साक्षरता की कमी विकसित भारत की संकल्पना में बड़ी चुनौती साबित होगी। ऐसे में बिजली के संतुलित और अधिकतम उपयोग के लिए सजग होना होगा। हमें समझना होगा कि बिजली की बचत, हमारी जेब के लिए नहीं, राष्ट्रहित और पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे अधिक जरूरी है।

विकास शर्मा
प्रबंधक (जनसंपर्क एवं औद्योगिक संबंध)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

ब्रिक्स और कृषि व्यापार की नई दिशा

एम.एल. जाट एवं स्मिता सिरोही

भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय कर रहा है जब कृषि व्यापार की चर्चा केवल शुल्क और बाजार पहुंच तक सीमित नहीं रह गई है। जलवायु संकट, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव, उर्वरकों की आपूर्ति में रुकावट, सतत उत्पादन से जुड़े मानक, उत्पाद के स्रोत और गुणवत्ता की डिजिटल जानकारी तथा संकट के समय बाजारों को खुला रखने की जरूरत अब कृषि व्यापार के अहम मुद्दे बन चुके हैं।

कृषि क्यों महत्वपूर्ण है

ब्रिक्स के विस्तार के बाद यह समूह अब दुनिया की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था, अंकटाड, के हालिया आकलन के अनुसार, ब्रिक्स देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 2003 के बाद तेरह गुना से अधिक बढ़ा है और 2024 में 1.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कृषि इस बड़े व्यापारिक परिदृश्य का केवल एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में है। जब खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, उर्वरकों की आपूर्ति रुकती है या समुद्री मार्गों में अनिश्चितता आती है, तो इसका सीधा असर किसानों, उपभोक्ताओं और सरकारों पर पड़ता है। इसलिए कृषि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में कई तरह की पूरकताएं हैं। ब्राजील सोयाबीन, मांस और चीनी का बड़ा निर्यातक है। रूस अनाज और उर्वरकों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारत चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले, भैंस के मांस और छोटे किसानों से जुड़ी कई कृषि वस्तुओं में मजबूत स्थिति रखता है। चीन खाद्य पदार्थों का बड़ा आयातक और प्रसंस्करण करने वाला देश है। दक्षिण अफ्रीका इस समूह को अफ्रीका के महत्वपूर्ण कृषि-खाद्य बाजारों से जोड़ता

है। नए सदस्य भी इसमें नए आयाम जोड़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब लॉजिस्टिक्स, वित्त और खाद्य सुरक्षा निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। मिस्र और इथियोपिया अफ्रीका की खाद्य प्रणाली से जुड़ी चिंताओं को सामने लाते हैं, जबकि इंडोनेशिया पाम ऑयल, मत्स्य क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय कृषि की ताकत जोड़ता है।

आपसी ताकतों को ठोस व्यवस्था में बदलना

लेकिन केवल बड़े पैमाने और आपसी ताकतों के मेल से अपने-आप मजबूत व्यापार व्यवस्था नहीं बनती। आगामी ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भारत को यह अवसर देती है कि वह सहयोग को कुछ ठोस दिशाओं में आगे बढ़ाए। इनमें भरोसेमंद व्यापार व्यवस्था, बीज, उर्वरक और अन्य उत्पादन सामग्री की मजबूत आपूर्ति शृंखला, बेहतर बाजार जानकारी और ऐसी मूल्य शृंखलाएं शामिल हैं जिनमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। भरोसेमंद व्यापार व्यवस्था को शुरुआती प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृषि व्यापार में केवल माल भेजना पर्याप्त नहीं है; यह भी उतना ही जरूरी है कि उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्रोत पर भरोसा हो। कृषि व्यापार सुविधा पर 2024 के ब्रिक्स सिद्धांत पहले ही खाद्य सुरक्षा, पशु-पौध स्वास्थ्य और तकनीकी मानकों से जुड़े सहयोग, एक-दूसरे के मानकों को स्वीकार करने की व्यवस्था, कम व्यापार लागत और डिजिटल व्यापार सुविधा जैसे बुनियादी मुद्दों को मान्यता देते हैं। भारत इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल प्रमाणपत्रों, उत्पाद के स्रोत और गुणवत्ता की भरोसेमंद डिजिटल जानकारी, नियामकों के बीच तेज संवाद और उत्पादकों व निर्यातकों की क्षमता निर्माण पर जोर दे सकता है। दूसरी प्राथमिकता मजबूत आपूर्ति शृंखला होनी चाहिए। खाद्य व्यापार को उर्वरक, ऊर्जा, पशु आहार, बीज, ढुलाई-भंडारण और वित्त से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत के लिए यह कोई दूर की चिंता नहीं है। उसके उर्वरक और ऊर्जा आयात का आधे से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आता है। इसलिए उत्पादन सामग्री की सुरक्षा सीधे कृषि की मजबूती से जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया के हालिया संकटों ने दिखाया है कि खाद्य पदार्थों के बाजार तक पहुंचने से बहुत पहले ही उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए ब्रिक्स सहयोग में उर्वरकों और अन्य उत्पादन सामग्री के बाजारों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, भंडार और कीमतों पर पारदर्शी जानकारी, और जरूरी कृषि सामग्री की आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटों को कम करने की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। तीसरी प्राथमिकता बेहतर बाजार जानकारी है। ब्रिक्स अनाज विनिमय का विचार इस बात की जरूरत को दिखाता है कि खाद्य बाजारों में अधिक पारदर्शिता, बेहतर मूल्य संकेत और खाद्य सुरक्षा की तैयारी होनी चाहिए। भारत इस दिशा में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के भीतर कृषि बाजार जानकारी से जुड़ी एक व्यवस्था का प्रस्ताव रख सकता है। यह मंच पहले से ही ज्ञान से कार्य की दिशा में विकसित किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था खाद्य भंडार, फसल की स्थिति, उर्वरक कीमतों, जहाजरानी जोखिमों, खाद्य सुरक्षा और पशु-पौध स्वास्थ्य से जुड़े अलर्ट तथा प्रमुख कृषि जिंसों के रुझानों पर नियमित जानकारी दे सकती है। इससे देश संकट गहराने से पहले ही तैयारी कर सकेंगे।

व्यापार को किसान-केन्द्रित बनाना

चौथी प्राथमिकता ऐसी मूल्य शृंखलाएं होनी चाहिए जिनमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि कृषि व्यापार केवल बड़ी मात्रा में अनाज, तेल, चीनी या अन्य जिंसों की खरीद-बिक्री तक सीमित रह गया, तो उससे छोटे किसानों और ग्रामीण परिवारों को सीमित लाभ ही मिलेगा। कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन 2026 से निकली दिल्ली घोषणा ने कृषि-खाद्य व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, नेतृत्व और भागीदारी को केंद्र में रखा है। भारत इस भावना को ब्रिक्स के कृषि व्यापार एजेंडे में आगे बढ़ा सकता है, ताकि छोटे किसानों, विशेषकर महिला किसानों और ग्रामीण युवाओं को केवल बाजार के लिए उत्पादन करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें मूल्य शृंखलाओं में अधिक प्रभावी भागीदारी का अवसर मिले। इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से जुड़े किसी बंद गुट का निर्माण करना नहीं है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि व्यापार एक अनिश्चित दुनिया में खाद्य सुरक्षा, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर ढंग से काम करे। भारत इस एजेंडा को आकार देने की दृष्टि से सही स्थिति में है क्योंकि उसे खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन, छोटे किसानों पर आधारित कृषि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और कृषि अनुसंधान का खासा अनुभव है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता इस एजेंडे को व्यावहारिक रूप देने का समय पर मिला अवसर है। छोटे लेकिन सुविचारित कदम भी संकट के समय कृषि व्यापार को अधिक भरोसेमंद, नियमों की दृष्टि से अधिक पारदर्शी और किसानों के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं। यह अधिक मजबूत, भरोसेमंद और किसान-केंद्रित कृषि व्यापार व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

(आईसीएआर के महानिदेशक तथा डीएआरई के सचिव हैं)

(आईसीएआर के एम.एस. स्वामीनाथन चेयर की राष्ट्रीय प्रोफेसर और डीएएफएंड डब्ल्यू की पूर्व संयुक्त सचिव (जी20/ब्रिक्स) हैं)

भारत ने श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई के लिए खाड़ी देश में अवसरों के द्वार खोले

पीयूष गोयल

एक जून से लागू हुआ भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस मिशन की एक निर्णायक उपलब्धि है, जिसका लक्ष्य नए बाजार खोलने और रोजगार सृजन को गति देने के जरिये भारत के छात्रों, कारीगरों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के लिए वैश्विक समृद्धि के मार्ग बनाना है। भारत और ओमान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें वे व्यापारी परिवार भी शामिल हैं, जिनकी जड़ें 200ङ्क300 साल पुरानी हैं। ओमान से भारत को भेजी जाने वाली वार्षिक धनराशि लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जबकि देश में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम कार्यरत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह तुरंत ही ओमान में 98त्न टैरिफ लाइनों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की सुविधा देता है, जिसमें 99.38 प्रतिशत निर्यात शामिल है। यह सीईपीए से पहले की प्रणाली की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। पहले की प्रणाली में केवल 15.3 प्रतिशत भारतीय निर्यात ओमान में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते थे। भारत की ऐसी वस्तुएं, जिन पर वर्तमान में ओमान में 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जिनकी कीमत लगभग 3.64 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर है, अब काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए, यह समझौता परिवर्तनकारी हो सकता है, क्योंकि सीईपीए से लाभान्वित होने वाले कई क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की प्रमुखता है। लोहा और इस्पात, वस्त्र, चमड़ा, वाहन कल-पुर्जे और औद्योगिक उपकरण जैसे कुछ क्षेत्रों में एमएसएमई को बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के युग में, सीईपीए भारतीय निर्यातकों को, जो आर्थिक मंदी और बढ़ते व्यापार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, अपने बाजारों को विविध बनाने और परंपरागत बाजारों पर निर्भरता कम करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। रोज़गार सृजन ङ्क यह व्यापार समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण और कुछ इंजीनियरिंग क्षेत्रों को लाभ पहुँचाता है, जो भारत के प्रमुख रोजगार प्रदाता हैं। ओमान को होने वाले वस्त्र निर्यात में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, कोयंबटूर, करूर, भदोही, मुरादाबाद, जयपुर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख क्लस्टर में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। भारत भर के कारीगर और बुनकर भी अपने उत्पादों की उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभान्वित होंगे। भारत भर में, विशेष रूप से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत चमड़ा और जूता के प्रमुख केंद्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रत्न और आभूषण क्षेत्र एक अन्य उदाहरण है, जो दिखाता है कि सीईपीए रोजगार वृद्धि को किस प्रकार तेज करेगा। भारत के पास पहले से ही कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, सोने और चांदी के आभूषण तथा हस्तनिर्मित आभूषण उत्पादन में मजबूत क्षमताएं हैं। शुल्क बाधाओं के हटने से, भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में ओमान को होने वाला निर्यात बढ़ कर 150 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के आभूषण निर्माण केन्द्रों में महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं सृजित होने की उम्मीद है। किसान और मछुआरे - घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि हितों की सुरक्षा के लिए, भारत ने गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, डेयरी, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, तिलहन, चाय, कॉफी और शहद जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरीफ छूट नहीं दी है। घी, शहद, मीठे बिस्कुट, अंडे और कुछ मिष्ठान्न उत्पादों में भारत को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा।

पीएम स्वनिधि महोत्सव में उमड़ा उत्साह, सैकड़ों पथ विक्रेताओं को मिला योजनाओं का लाभ

दुर्ग (विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन गुरुवार को नगर पालिक निगम दुर्ग के श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में पथ विक्रेताओं ने भाग लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाया।

कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार एवं निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों एवं बैंकों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पथ विक्रेताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों को भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

169 पथ विक्रेताओं की सहभागिता, नए ऋण आवेदकों की हुई पहचान महोत्सव में कुल 169 पथ विक्रेताओं की उपस्थिति रही, वहीं 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत नए ऋण लाभार्थियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 87 नए आवेदकों को ऋण हेतु चिन्हांकित किया गया।

शिविर के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा 45 हितग्राहियों को ऋण वितरण किया गया तथा 54 प्रकरणों में ऋण स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा 5 हितग्राहियों के क्रेडिट कार्ड आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए, जिससे उन्हें भविष्य में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सकेगा। डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता पर विशेष प्रशिक्षण

पथ विक्रेताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिविर में विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इंडसइंड बैंक के प्रतिनिधि दिलेश्वर निषाद द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं डिजिटल भुगतान संबंधी जानकारी प्रदान की गई। वहीं अग्रणी बैंक के लेखराम द्वारा वित्तीय साक्षरता पर मार्गदर्शन देते हुए बचत, ऋण प्रबंधन और बैंकिंग सेवाओं के महत्व को विस्तार से बताया गया। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर द्वारा 8 पथ विक्रेताओं को क्यूआर कोड बॉक्स वितरित किए गए, जिससे वे कैशलेस भुगतान प्रणाली से जुड़ सकें।स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं का मिला लाभ

शिविर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जितेंद्र नेले द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मेडिकल यूनिट द्वारा 46 पथ विक्रेताओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सेवाएं एवं लाभ भी उपलब्ध कराए गए।

विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल सीएसपीडीसीएल एमडी से मिले

रायपुर (विश्व परिवार)। पूर्व संसदीय सचिव एवं छाया सांसद विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को दी जा रही रीडिंग बिल की राशि और बिल भुगतान की राशि में भारी अंतर को लेकर बिजली विभाग के एमडी से मुलाकात की। जहाँ स्वयं एमडी द्वारा कबुला गया कि बिजली बिल गड़बड़ी मामले को लेकर उनके संज्ञान में 2700 प्रकरण आये हैं। उपाध्याय ने इसे बड़ी गंभीर समस्या बताई जब राजधानी की यह दशा है तो रायपुर सहित पूरे प्रदेश में तो लाखों उपभोक्ता इस गड़बड़ी के शिकार हुये होंगे। उपाध्याय ने बताया कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम जनता महंगाई से जूझ रही है और ऐसे में विद्युत विभाग उनकी परेशानी और बढ़ा रहे हैं। उपाध्याय ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल दिया जा रहा है उसमें भारी अंतर पाई गई है और इसके जिम्मेदार विद्युत विभाग हैं। बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को स्मार्ट तरीके से लूट रही है। आज विकास उपाध्याय स्वयं बिजली बिल में आ रही त्रुटियों को लेकर दर्जनों से ज्यादा उदाहरण लेकर पहुंचे हुए थे जहां पर सीएसपीडीसीएल एमडी के संज्ञान में 2700 प्रकरण सामने आये हैं उन्होंने स्वयं कबुला है।

उपाध्याय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से एक नहीं कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में गड़बड़ी सामने आ रही है तो विभाग को तत्काल स्मार्ट मीटर बंद कर देना चाहिये।

भाजपा शंकर नगर मंडल रायपुर की मासिक बैठक हुई संपन्न

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी शंकर नगर मंडल रायपुर की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष श्री राम प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, बूथ सशक्तिकरण, सेवा कार्यों एवं जनसंपर्क अभियानों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बैठक में विशेष रूप से उत्तर विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री पुरंदर मिश्रा , मंडल प्रभारी एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री अकबर अली , मंडल प्रभारी श्री सतीश झुगानी , भाजपा जिला मंत्री श्रीमती अर्चना हुकरे , पूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री श्री किशोर महानंद , श्रीमती अन्नू ठेठवार चर्टजी , पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री संजय कश्यप , मंडल महामंत्री श्री हरिवंश वर्मा , मंडल उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सिन्हा जी, श्री अविनाश चटर्जी जी, छाया पार्षद श्री ज्ञानचंद चौधरी जी, मंडल मंत्री श्रीमती लता जगत , श्री भरत बया , कोषाध्यक्ष श्रीमती वर्षा सहिस , श्रीमती साधना चक्रवर्ती , श्री मनीष सेन , श्री सूरज यादव , श्री अजय गुप्ता सहित मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

जशपुर के वन धन विकास केंद्र ने खड़ा किया 1.91 करोड़ का कारोबार

मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में आदिवासी आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल

रायपुर (विश्व परिवार)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित आजीविका को नई दिशा मिल रही है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण जशपुर जिले का वन धन विकास केंद्र (VDVK) पंचक्की है, जहां उरांव आदिवासी समुदाय के लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर जीवन से निकलकर आज ?1.91 करोड़ का सफल कारोबार खड़ा कर ग्रामीण उद्यमिता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

वन मंत्री केदार कश्यप की सोच रही है कि जंगलों से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज केवल संग्रहण तक सीमित न रहे, बल्कि उसका मूल्य संवर्धन कर आदिवासी परिवारों की आय और जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाया जाए। इसी उद्देश्य को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और ट्राइफेड के सहयोग से वन धन विकास केंद्रों को सशक्त बनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत संचालित इस केंद्र में आदिवासी कारीगरों को आधुनिक मशीनों, प्रसंस्करण तकनीकों और विपणन संबंधी प्रशिक्षण से जोड़ा गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जड़ी-बूटियों और वनोपजों को मूल्य संवर्धित उत्पादों के रूप में तैयार कर 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के तहत बाजार में उतारा गया, जिसे उपभोक्ताओं का व्यापक विश्वास और समर्थन मिला।

इस पहल का परिणाम यह रहा कि केंद्र से जुड़े परिवारों ने सामूहिक रूप से ?1.91 करोड़ की बिक्री कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख दी। जो लोग कभी रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर थे, आज वे अपने गांव में ही सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं।

गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स प्रकरण में सीजीरेरा की सख्त कार्रवाई

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। साथ ही परियोजना के रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय एवं विक्रय संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्लॉटों की कीमतों तथा परियोजना से संबंधित जानकारी का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार किया। रेरा अधिनियम के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्रमोटर पर 10 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। सीजीरेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परियोजना में रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय अथवा विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। प्राधिकरण ने पुनः स्पष्ट किया है कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी भू-संपदा परियोजना का विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय करना कानूनन प्रतिबंधित है।

मोदी सरकार के 12 वर्ष अधूरे वादों पर जनता के सवाल: इकराम अहमद

रायपुर (विश्व परिवार)। भारत सरकार द्वारा 12 वर्ष पूर्ण होने पर जहां एक ओर जश्न और उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की आम जनता के मन में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नगर पालिक निगम बिरगांव के एमआईसी सदस्य इकराम अहमद ने कहा कि यह केवल उत्सव का समय नहीं, बल्कि जनता से किए गए वादों का हिसाब देने का समय भी है। मुख्य अधूरे वादों पर सवाल रोजगार का वादा - युवाओं के साथ अन्याय हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी लाखों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है युवाओं को सपने दिखाए गए, लेकिन अवसर नहीं दिए गए। काला धन -सिर्फ जुमला? विदेशों से काला धन लाकर हर खाते में? 15 लाख देने का वादा किया गया। आज तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया यह वादा जनता को गुमराह करने वाला जुमला साबित हुआ। किसानों की आय - वादा अधूरा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। किसान आज भी कर्ज और लागत की मार झेल रहे हैं खेती महंगी हुई लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। महंगाई - आम आदमी पर बोझ पेट्रोल, डीजल, और गैस सस्ती करने का दावा किया गया था।

नगर पालिक निगम ने नंदिनी रोड पर अवैध कब्जा हटाया

भिलाईनगर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-4 अंतर्गत नंदिनी रोड, ग्रुप-ए, भूखण्ड क्रं. 02 के पूर्व दिशा में उत्पल घोष द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए अवैध कब्जे को नगर पालिक निगम ने हटाया। निगम को इस संबंध में शिकायत मिली थी कि उक्त स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा आवागमन बाधित कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है।

नगर पालिक निगम को जानकारी मिला कि निर्माणकर्ता को पहले भी माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए अवैध संरचना हटाने के लिए कई बार नोटिस और अंतिम सूचना जारी की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इस पर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन-4 के राजस्व विभाग, बेदखली टीम एवं थाना छावनी के पुलिस बल की मौजूदगी में स्थल पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि अब नंदिनी रोड पर आवागमन बाधित करने वाला अवैध कब्जा पूरी तरह से हटाया जा चुका है और व्यापारियों एवं आम जनता के लिए मार्ग अब खुला है। नगर पालिक निगम ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या कब्जे की सूचना तुरंत निगम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बेदखली कार्रवाई के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता संजय वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, बेदखली सहायक हरिओम गुप्ता सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पूर्व केन्द्रीय मन्त्री पण्डित विद्याचरण शुक्ल का 13वीं पुण्यतिथि पर किया गया नमन

रायपुर (विश्व परिवार) आज पूर्व केन्द्रीय मन्त्री शहीद पण्डित विद्याचरण शुक्ल को उनकी 131द्वठ्ठ पुण्यतिथि पर सादर नमन करने रायपुर नगर पालिक निगम संस्कृति विभाग के तत्त्ववधान में नगर निगम जोन 4 के सहयोग से राजधानी शहर में रायपुर नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के सामने नगर निगम के उद्यान परिसर में स्थित शहीद पण्डित विद्याचरण शुक्ल की मूर्ति के समक्ष रखे गए संक्षिप्त पुष्पांजलि आयोजन में पहुंचकर पूर्व केन्द्रीय मन्त्री शहीद पण्डित विद्याचरण शुक्ल को उनकी 13 वीं पुण्यतिथि पर मूर्ति स्थल में रायपुर नगर निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, राजस्व विभाग अध्यक्ष श्री अवतार भारती बागल, रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद श्रीकुमार मेनन, पूर्व पार्षद श्री सुन्दर जोगी, पार्षद प्रतिनिधि श्री रोहित साहू, सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री प्रमोद तिवारी सहित गणमान्यजनों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, नवयुवकों, आमजनों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सादर नमन किया.

डीएड अभ्यार्थियों के संबध में सरकार हठधर्मिता छोड़, निर्णय ले: कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया कि सरकार डीएड अभ्यर्थियों की मांग पर मानवीय रवैया अपनाते हुये तत्काल इनकी नियुक्ति आदेश निकाले प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि डीएड अभ्यर्थी अपनी जायज मांग के लिये लड़ाई लड़ रहे।

अरूणा डे का निधन

रायपुर (विश्व परिवार)। गाजियाबाद दिल्ली निवासी श्रीमती अरुणा डे (भारतीय खाद्य निगम से सेवानिवृत्त) का बुधवार दिनांक 10 मई 2026 को आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार 11 मई 2026 को किया गया। वे स्व. श्री एन.एन. डे की पत्नी तथा श्री प्रदीप कुमार डे (प्रबंधक हाऊसकीपिंग, भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय मंडल रायपुर में कार्यरत) की चाचीजी थीं।

भीषण गर्मी को देखते हुये ग्रीष्म कालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाया जाय - बैज

रायपुर (विश्व परिवार)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार से मांग किया है कि भीषण गर्मी को देखते हुये स्कूलों का ग्रीष्म कालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाया जाये तथा स्कूल 1 जुलाई से शुरू किया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस समय प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे में बच्चों का स्कूल 15 जून से खोलने पर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है कि मासूम बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुये तत्काल छुट्टी बढ़ाने की घोषणा किया जाना चाहिये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गर्मी एवं लू के कारण लोग सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलने में परहेज कर रहे। ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाना उचित नहीं होगा।

नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही

रायपुर (विश्व परिवार)। आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व एवं कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता श्री अमन चंद्राकर, अनुराग पाटकर, उप अभियंता श्री लोचन चौहान, श्री अबरार खान एवं नगर निवेश विभाग टीम की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत संत रविदास वार्ड कमांक 70 क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा डुप्सा तालाब के पास लगभग 1100 वर्गफीट क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गयी. इसके साथ ही इन्द्रप्रस्थ कालोनी के पास स्थित वृंदावन कॉलोनी रायपुरा में लगभग 1000 -1000 वर्गफीट पर बिना अनुमति के 2 भवन/ मकान बनाये गए थे, जिसे तोड़ने की स्थल पर कार्यवाही की गयी. वार्डों के विभिन्न स्थानों में सी एंड डी वेस्ट मिलने पर सड़क बाधा शुल्क एवं बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य करने को लेकर कार्यवाही करते हुए सम्बंधितों पर ई चालान कार्यवाही करते हुए कुल 7000 रुपए की वसूली की कार्यवाही की गयी.

पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई संपन्न

- छ ग ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने पेंशन योजना से सदस्यों को अवगत कराया.

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील इकाई बलौदाबाजार की मासिक बैठक अध्यक्ष एस डी पड़वार के नेतृत्व मे,प्रदेश महामंत्री डी पी जैन, जिलाध्यक्ष एस एम पाध्ये के निर्देशन मे व वरिष्ठ सदस्य पूर्व प्राचार्य जय नारायण केसरवानी की अध्यक्षता मे बुधवार 10 जून को आदर्श प्राथमिक शाला के सभागार मे संपन्न हुई. कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुआ .विगत दिनों प्रदेश मुख्यालय रायपुर मे आयोजित प्रांतीय बैठक मे हुई चर्चा व लिए गए निर्णयों से संघ के सदस्यों को अवगत कराते हुए संघ की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई. इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित छ ग ग्रामीण बैंक शाखा बलौदाबाजार के प्रबंधक राहुल कुमार तथा बैंक के बलौदाबाजारद्य स्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख श्री गुप्ता ने पेंशनरों के हित मे बैंक की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए उनकी बैंक शाखा मे पेंशन खाता खोलने प्रेरित किया व इसके तुलनात्मक लाभ बताये. अपने उदबोधन मे अध्यक्षता कर रहे डॉ जयनारायण केशरवानी ने कहा कि नियमित बैठकों का उद्देश्य अपने साथियों की कुशल क्षेम जानना होता है. आगामी कार्यक्रमों की रुपरेखा तय होती है. किसी भी पेंशनर की समस्या का समाधान सम्मिलित रूप से हल किया जाता है. उन्होंने सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की तथा सदस्यों से बैठकों मे अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थित रहने का आह्वान किया.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

निविदा सूचना

निविदा क्रमांक: PMS-10-SNT-Proj-R-26
दिनांक: 04.06.2026
कार्य का नाम: रायपुर सी केबिन, डी केबिन, ई केबिन, पी केबिन, फ्रेट मेंटेनेंस यार्ड, भिलाई एक्सचेंज यार्ड, तिल्दा और बैकुंठ स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन से बदलने के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) प्रदान करने हेतु प्राधिकारी अभियंता की नियुक्ति। इसमें शामिल हैं: एसईसीआर के रायपुर डिवीजन में संबंधित सिग्नल और दूरसंचार, सिविल और विद्युत कार्य।
निविदा मूल्य: ₹ 6,24,52,206/-, **ईएमडी:** ₹ 4,62,300/-, **निविदा प्रस्तुत करना:** दिनांक **07.07.2026** के **15:00** बजे तक, **निविदा खोलना:** दि. **07.07.2026** के **15:00** बजे।
उपरोक्त कार्य के विस्तृत विवरण, निविदा दस्तावेज की खरीद पात्रता मानदंड हेतु उप मुख्य S&T अभियंता/ परियोजना / रायपुर के कार्यालय से संपर्क करें अथवा वेबसाइट www.ireps.gov.in उपलब्ध निविदा दस्तावेजों का अवलोकन / डाउनलोड करें।
उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (परियोजना), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर
PR/R/GSU/DY(CSTE)/MS/87
South East Central Railway @secrail

संक्षिप्त समाचार

यूटीआई वैल्यू फंड - एक ऐसा फंड जो पूरे मार्केट कैप में अवसरों की तलाश करता है

वित्तीय विशेषज्ञ अक्सर निवेशकों को ऐसे फंडों में निवेश करने की सलाह देते हैं जो बाजार के लगभग पूरे दायरे (स्पेक्ट्रम) को कवर करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो, अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड (विविधतापूर्ण) फंड। लोग आमतौर पर लार्ज-कैप फंडों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि वे ऊपरी तौर पर कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार पूंजीकरण) का लगभग 80-85% हिस्सा कवर करते हैं। हालांकि लार्ज-कैप फंड बड़े बाजारों/सूचकांकों (इंडेक्स) का प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं, लेकिन निवेशकों को यह समझना चाहिए कि ये फंड हमेशा बाजार के हर क्षेत्र में मौजूद अवसरों को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं। बाजार के इस पूरे दायरे में अलग-अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन (लार्ज, मिड और स्मॉल कैप), अलग-अलग निवेश रणनीतियाँ (ग्रोथ बनाम वैल्यू) या बाजार के कुछ खास सेक्टरों में आने वाले उतार-चढ़ाव शामिल हो सकते हैं। बाजार की यही अनूठी और अलग-अलग चाल फंड मैनेजरों को एक बड़ा मैदान देती है, जिससे वे पूरे मार्केट कैप और अलग-अलग निवेश शैलियों में बेहतरीन अवसरों को चुन पाते हैं, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पोर्टफोलियो का तुलनात्मक जोखिम (रिस्क) कम रहे। यूटीआई वैल्यू फंड ऐसा ही एक फंड है, जो किसी शेयर के सापेक्ष आंतरिक मूल्य (इंट्रिंसिक वैल्यू) के आधार पर अवसरों की तलाश करता है।

हिमालया बेबीकेयर ने शिशुओं के लिए लॉन्च किया समर केयर कैंपेन

रायपुर। भारत के सबसे भरोसेमंद बेबी केयर ब्रांड्स में से एक हिमालय बेबीकेयर, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ने गर्मियों के मौसम के लिए विशेष रूप से तैयार शिशु देखभाल दिनचर्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना नया समर कैंपेन शुरू किया है।

आराम और कोमल देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह कैंपेन ब्रांड के पहले गर्मियों के लिए विशेष रूप से तैयार शिशु देखभाल दिनचर्या को प्रस्तुत करता है- एक सुनियोजित दिनचर्या जो गर्मियों के दौरान शिशुओं को ठंडा, तरोताजा और खुश रखने के लिए बनाई गई है। इस कैंपेन के केंद्र में एक मनोरंजक डिजिटल फिल्म है जो शिशुओं को एक जोरदार ग्रीष्मकालीन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दर्शाती है। "We DonÓt Want Rashes" और "Stop the Sweat" जैसे संदेशों वाले छोटे-छोटे प्लेकार्ड्स से लेकर गर्मी से होने वाली परेशानियों के खिलाफ एक दृढ़ मार्च तक, यह फिल्म एक आकर्षक लेकिन प्रासंगिक विद्रोह को जीवंत करती है - उन बातों को आवाज़ देती है जो बच्चे अगर बोल पाते तो कहते। कहानी तब एक दिल को छू लेने वाला मोड़ लेती है जब हिमालया बेबीकेयर की ग्रीष्मकालीन दिनचर्या की शुरुआत के साथ अराजकता शांत हो जाती है, यह दर्शाता है कि किस तरह एक सरल और सौम्य दिनचर्या चिड़चिड़े और असहज क्षणों को एक शांत व सुखद अनुभव में बदल सकती है। आधुनिक माता-पिता के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार इस कैंपेन में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को उजागर किया गया है- जहां गर्मियां शिशुओं की नाजुक त्वचा पर कठोर प्रभाव डाल सकती है, एक नियमित और कोमल देखभाल की दिनचर्या से बहुत फर्क पड़ सकता है। "Babies Ko Summer Mein Rakhe Cool, Fresh, and Happy" के संदेश के साथ, ब्रांड आधुनिक अभिभावकों की जरूरतों के अनुरूप भरोसेमंद, प्रभावी और सुरक्षित बेबी पर्सनल केयर उत्पाद प्रदान करने के अपने वादे को मजबूती देता है।

गरियाबंद पुलिस के विवेचकों को मिला हाईटेक प्रशिक्षण

गरियाबंद (विश्व परिवार)। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक, सटीक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में जिले के सभी थानों के विवेचकों (Investigating Officers) के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों ने विवेचकों को अपराध स्थल से सुरक्षित तरीके से उंगलियों के निशान संकलित करने, उन्हें संरक्षित रखने तथा न्यायालय में मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की विस्तृत जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि फिंगर प्रिंट किसी भी अपराध की गुत्थी सुलझाने में सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक प्रमाणों में से एक हैं, जो अपराधी तक पहुंचने का सटीक मार्ग प्रशस्त करते हैं।

दूसरे सत्र में विवेचकों को ह्रस्नढ्ढस् (नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। लाइव डेमो के माध्यम से बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों के फिंगर प्रिंट को स्कैन कर राष्ट्रीय डेटाबेस में कैसे दर्ज किया जाता है और देशभर के करोड़ों रिकॉर्ड से उनका मिलान कुछ ही मिनटों में कैसे संभव है।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि बदलते अपराध स्वरूप के बीच पुलिस बल का तकनीकी रूप से सशक्त होना समय की मांग है। ह्रस्नढ्ढस् प्रणाली के प्रभावी उपयोग से अंतरराज्यीय अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी। साथ ही अज्ञात शवों की शिनाख्त, फरार अपराधियों की तलाश और वर्षों से लंबित मामलों के खुलासे में भी महत्वपूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है।

कार्यशाला में यह संदेश स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि वैज्ञानिक जांच पद्धतियों और डिजिटल तकनीकों के समन्वय से पुलिसिंग को नई दिशा मिलेगी। प्रशिक्षित विवेचक अब अपराध स्थलों से अधिक सटीक साक्ष्य जुटाकर मामलों की जांच को मजबूत बनाएंगे, जिससे अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी।

सहूलियत, सम्मान और सेहत... हर घर नल से बदली जिंदगी

जगदलपुर। रोज सुबह उठते ही घर में नल से साफ पानी आते देखने की खुशी क्या होती है, इसे कमली से पूछिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव को अपने आंगन में लगे नल से आ रहे पानी की धार को दिखाते खुशी से उनकी आंखें डबडबा गईं। जल जीवन मिशन ने कमली जैसी हजारों महिलाओं को अमूल्य खुशियां दी हैं। कभी पीने और निस्तारी के पानी के लिए दिनभर चिंतित रहने वाली इन महिलाओं का जीवन घर में लगे नल ने बदल दिया है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव अपने चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन का काम देखने कमली के भी गांव पहुंचे। कमली के गांव बस्तर जिले के तोकापाल विकासखण्ड के दुगनपाल में उन्होंने कुछ और घरों में भी जाकर नल से पानी आते देखा। जल जीवन मिशन से घर में पानी पहुंचने की खुशी सभी महिलाओं के चेहरे पर दिख रही थी।

जल जीवन मिशन दूरस्थ गांवों और वनांचलों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। आधी आबादी के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए रोज जूझना पड़ता था। खासतौर से गर्मियों के दिनों में जब हर साल सिर पर पानी के बर्तन का सफर कुछ सौ मीटरों से कुछ किलोमीटरों में बदल जाता था। जीवन के लिए अनिवार्य जरुरत पानी की व्यवस्था गर्मियों में महिलाओं का जीवन दुष्कर बना देती थी। दुगनपाल में भी महिलाओं को रोज गांव के हैंडपंप या कुआं पर जाकर घर के सभी लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था। घर में नल लग जाने से अब इस समस्या से निजात मिल गई है। जल जीवन मिशन के काम जैसे-जैसे पूरे होते जा रहे हैं, महिलाओं की बाहर से पानी लाने की चिंता और तकलीफ दूर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक साढ़े आठ हजार से अधिक योजनाओं को पूर्ण कर संचालन के लिए पंचायतों को सौंपा जा चुका है।

जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है। यह महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। गांवों में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है। घर तक पानी की पहुंच न होने के कारण उन्हें हैंडपंपो, सार्वजनिक नलों, कुंओं या अन्य स्रोतों से रोज पूरे परिवार के लिए जल संग्रहण करना पड़ता है।

रोजाना का यह श्रमसाध्य और समयसाध्य काम बारिश तथा भीषण गर्मी के दिनों में और कठिन हो जाता है। कई इलाकों में गर्मियों में जलस्रोतों के सूख जाने के कारण दूर-दूर से पानी लाने की मजबूरी रहती है। परिवार के लिए पानी की व्यवस्था हर दिन का संघर्ष बन जाता है। महिलाओं के दिन के कई घंटे इसी काम में निकल जाते हैं।

16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

गरियाबंद। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं वंश वृद्धि को संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया है। मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक गिरिश वर्मा ने बताया कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जल संसाधनों में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत लागू इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्रजनन काल में मछलियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे मत्स्य संपदा का संरक्षण और संवर्धन हो सके।

बंद ऋतु के दौरान प्रदेश के सभी नदी, नाले, जलाशय तथा उनसे जुड़े जल स्रोतों में मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, ऐसे छोटे तालाब एवं जल स्रोत जिनका किसी नदी-नाले से संबंध नहीं है, तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध सिद्ध होने पर दोषी को एक वर्ष तक का कारावास, 25 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं।

मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालकों, मछुआरों और आम नागरिकों से बंद ऋतु के दौरान नियमों का पालन करने तथा मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

नशे के कारोबार पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जगदलपुर। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए परिवहन करने के लिए बस का इंतजार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 11.06.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे आम पेड़ के पास एक 25-30 साल का पतला दुबला लड़का खड़ा जो काला रंग का शर्ट एवं ग्रे रंग का जींस पहना है, वह लड़का अपने कब्जा में दो काला रंग के बैग में नशे के रूप में उपयोग होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के लिए परिवहन करने हेतु बस का इंतजार कर रहा है, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफकी टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे जाकर रेड कार्यवाही किये रेड कार्यवाही के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक संदेही व्यक्ति मिले जिन्हे नाम पता पूछने पर अपना नाम - शुभम प्रजापति पिता हीरालाल प्रजापति उम्र 28 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर भोपाल म प्र का रहने वाले बताये जिसका तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा 15.654 ङ्खद्द, एक मोबाइल, नगदी रकम 500 रु बरामद हुआ।

ग्रामीण युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

अब गांवों में मिलेगी शहरों जैसी कोचिंग, एआई तकनीक से होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

गरियाबंद (विश्व परिवार)। जिले के मेधावी विद्यार्थियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिला प्रशासन की अभिनव पहल के तहत जिले के चारों विकासखंड—गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग और फिंगेश्वर में रेस रत्नगर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की जा रही है। कलेक्टर बी.एस. उइके के मार्गदर्शन में स्थापित होने वाली यह अकादमी विद्यार्थियों को एसएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, अग्निवीर सहित अन्य प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध कराएगी। अकादमी की सबसे बड़ी विशेषता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित शिक्षण प्रणाली होगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री, टेस्ट सीरीज और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

जिला प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियां उनकी सफलता में बाधा न बनें। इस पहल से विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा और वे विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 12 जून 2026 को सुबह 10 बजे ऑक्सन हॉल, वन परिसर, गरियाबंद में एक विशेष कैरियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित किया जाएगा। सेमिनार में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विभिन्न करियर विकल्पों तथा अकादमी की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

कलेक्टर बी.एस. उइके ने जिले के विद्यार्थियों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास बेहद आवश्यक है। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सेमिनार में शामिल होकर अपने भविष्य को नई दिशा देने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि रेस रत्नगर्भा अकादमी की नियमित कक्षाएं 22 जून 2026 से प्रारंभ होंगी। इच्छुक विद्यार्थी पंजीयन के लिए 81303-36675, 90983-02971 एवं 90989-31525 पर संपर्क कर सकते हैं।

बस्तर जिला किसान कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, 9 सूत्रीय मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन

भाजपा सरकार में कालाबाजारी चरम पर,खाद बीज,डीजल संकट से किसान त्रस्त, सरकार सिर्फअपनी वाहवाही लूटने में व्यस्त- सुशील मौर्य ...

किसानों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं,समस्त 9 सूत्रीय मांग जल्द से जल्द पूरी करे भाजपा सरकार- दयाराम

जगदलपुर (विश्व परिवार)। आज शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में व बस्तर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम कश्यप की अगुवाई में किसान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान आक्रोश रैली निकाल भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों की विभिन्न समस्याओं,कृषि कार्यों में आ रही बाधाओं तथा खाद-बीज की कालाबाजारी के विरोध सहित 9 सूत्रीय मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपा गया ...

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा बस्तर सहित पूरे प्रदेश का किसान आज आर्थिक संकट, बढ़ती लागत और प्रशासनिक लापरवाही से जूझ रहा है। यदि समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भाजपा सरकार किसानों के हित में संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाए।खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण किसानों को बाजार से अधिक कीमत पर खाद-बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।भाजपा सरकार में किसानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। खाद, बीज और डीजल की समस्या से किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार केवल प्रचार और वाहवाही लूटने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है,जो सरकार की विफलता को दर्शाता है।प्रशासन की उदासीनता के कारण कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद हैं और किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का परिणाम है कांग्रेस पार्टी सख्त चेतावनी है है कि यदि शीघ्र ही मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर में व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा,जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और भाजपा सरकार की होगी।

बस्तर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम कश्यप ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। यह सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों पर सरकार की उदासीनता के कारण किसानों में भारी नाराजगी है।किसान देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं,लेकिन भाजपा सरकार में आज वही किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए दर-दर भटक रहा है। किसान कांग्रेस किसानों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी और उनकी अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। किसान कांग्रेस की मांग है कि किसानों को सहकारी समितियों एवं अधिकृत केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए, खाद-बीज की कालाबाजारी और जमाखोरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।साथ ही धान खरीदी केंद्रों में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी भाजपा सरकार कार्रवाई करे इसके साथ किसानों को समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों को परेशानियों का सामना किया करना पड़े।भाजपा सरकार किसानों की सभी 9 सूत्रीय मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर राहत प्रदान करें।कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई से होगा। भाजपा सरकार को किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।यदि किसानों की 9 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो किसान कांग्रेस आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारा यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

इस दौरान पूर्व विधायक रेखचंद जैन,ग्रामीण अध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला,किसान कांग्रेस प्रभारी देवाल सिंह नेताम,कविता साहू,जिला उपाध्यक्ष अतिरिक्त शुक्ला, रविशंकर तिवारी, सुरेंद्र झा,महामंत्री प्रशांत जैन, सूरज कश्यप,रोजविन दास, मनोज साहनी,हेमू उपाध्याय, सहदेव नाग,ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव, सूर्यापानी,संतोष सेठिया,धनुर्जय,मोती कश्यप,सोनाधर बघेल,शिव राम बिसाई,महादेव नाग, गणेश भारती,प्रेम शेट्टी,वीरेंद्र साहनी,नीलू राम,भोजराज नाग,प्रणय शील,बलराम कोकड़ू,शादाब अहमद,सलीम जाफर अली,मोहसिन खान,ज्योति राव,पार्षद लोकेश चौधरी,अंकित सिंह,आकिब रजा,दुशाल काले,हेमंत कश्यप,राजा तिवारी आदि मौजूद रहे।

धार्मिक ज्ञान के बगैर जीवन अधूरा- सुनय श्री माताजी

- जैन अटा मंदिर में श्रमण संस्कृति संस्कार शिविर सामूहिक समापन- मेधावी हुए सम्मानित

ललितपुर। आज नगर के पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन अटामंदिर में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा तीर्थचक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर महाराज की प्रेरणा एवं आर्शीवाद से श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का समापन क्षुल्लिका सुनय श्री माताजी के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर उन्होने कहा धार्मिक संस्कारों के वगैर जीवन अधूरा है। धार्मिक ज्ञान के लिए ऐसे शिविरों के माध्यम से हजारों की संख्या में श्रावक लाभान्वित होते हैं।

जैन पंचायत के अध्यक्ष डा0 अक्षय टडैया ने ललितपुर नगर के सभी जैन मंदिरों में आयोजित हुए शिविर में सांगानेर संस्थान के विद्वानों द्वारा दिए गए धार्मिक ज्ञान को उपयोगी बताया जिसके माध्यम से वालकों से लेकर वृद्धों तक ने शिविर में हिस्सा लेकर ज्ञानार्जन किया। इस दौरान शिविर संयोजक आलोक मोदी एवं मुकेश शास्त्री ने बताया कि शिविर में सांगानेर संस्थान के 30 युवा विद्वानों द्वारा छहढाला, इष्टोपदेश, श्रावकाचार, द्रव्यसंग्रह, तत्वार्थसूत्र, कर्मकाण्ड, जीवकाण्ड, आलाप पद्धति, गोम्मटसार, सिद्धान्त प्रवेशिका, बालवोध भाग एक व दो का प्रशिक्षण दिया जिसमें दो हजार से अधिक शिविरार्थी लाभान्वित हुए।

शिविर समापन कार्यक्रम का शुभारम्भ जैन पंचायत के पदाधिकारियों ने आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर महाराज एवं आचार्य श्री विराग सागर महाराज के चित्र के सम्मुख दीपप्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान शिविर में किट सामग्री का पुर्याजन संजीव कुमार राजीव जैन लकी परिवार एवं शिविर में ज्ञानार्जन कराने आए युवा विद्वानों को सम्मानित किया गया।

श्रावक संस्कार शिविर के समापन पर सम्मान समारोह संपन्न

तालबेहट (ललितपुर)। कसबे के वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 3 जून से 11 जून 2026 तक पं. मुकेश जैन शास्त्री के निर्देशन में आयोजित नौ दिवसीय श्रावक संस्कार शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ आचार्य श्री के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया।मंगलाचरण अक्षरा जैन एवं अवनि भंडारी ने किया। सिद्धार्थ भैया ने धर्म सभा को सम्बोधित करते हुए कहा हमें जीवन को पंक नहीं पंकज बनाना है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने और संयम को धारण कर मानव जीवन को सफल बनाने का आह्वान किया। अभिषेक भैया ने पाठशाला संचालन और बच्चों को संस्कारित करने पर जोर दिया।

मंदिर समिति नें श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से पधारे सिद्धार्थ भैया रामटोरिया एवं अभिषेक भैया मैनवार का माला शॉल श्रीफल और अंगवस्त्र से सम्मान किया। शिविर में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये गये।

कृषि महाविद्यालय रायपुर में ब्रह्माकुमारी डॉ. गीता बहन का प्रेरणादायक व्याख्यान संपन्न

रायपुर (विश्व परिवार)। कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सेमिनार हॉल में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर डॉ. आरती गुहे के मार्गदर्शन में ब्रह्माकुमारी डॉ. गीता बहन (आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता, राजयोग प्रशिक्षण एवं परामर्श विशेषज्ञ, शांति सरोवर संस्थान, रायपुर) का प्रेरणादायक व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महाविद्यालय की प्राध्यापक, डॉ. अन्नू वर्मा द्वारा ब्रह्माकुमारी डॉ. गीता बहन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक - 07

निविदा आमंत्रण सूचना
प्रथम निविदा

क्रमांक 95/जोन क. 07/ न.पा.नि/2026 रायपुर दिनांक 11/06/2026

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीकृत ठेकेदारों से कम/अधिक प्रतिशत दर में PWD में प्रभावशील (भवन/सड़क) (SOR 01-01-2015) PHE मे प्रभावशील (SOR 01.06.2020) Electrical & Mechanical में प्रभावशील (SOR 01.06.2020) एवं आज्ञ दिनांक तक संशोधित दर अनुसार निर्धारित विहित प्रपत्र में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से तीन लिफाफा पध्दती से नियमानुसार सीलबंद निविदाएं जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 07, नगर पालिक निर्गम, रायपुर के पत्ते पर आमंत्रित की जाती है। कार्य की अमानत राशि का एफडी. आर., आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से मान्य होगा एवं मूल एफडी.आर. एवं शपथ पत्र के साथ एक छायाप्रति भी संलग्न करें। निविदा का विवरण निम्नानुसार है

-01. निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि दिनांक 24/06/2026 संध्या 05.30 बजे तक।
02. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/06/2026 संध्या 05.00 बजे तक।
03. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि दिनांक 30/06/2026 संध्या 05.30 बजे के बाद।

कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य विवरण	निविदा फार्म	आगणित राशि	अमानती राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	समयवधि
1.	अधोसंरचना मद से शहीद चुडामणी नायक वार्ड क्रमांक 38 अंतर्गत रामकुण्ड सांई मंदिर के पास सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य। (द्वितीय निविदा)	A/B/C	215877	3000	750	लो.नि.वि. में एकल पध्दती से 'डी' श्रेणी या उससे उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म	90 दिन
2.	अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधि से शहीद चुडामणी नायक वार्ड अंतर्गत ठाकरे चौक स्थित सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार का कार्य। (द्वितीय निविदा)	A/B/C	500000	5000	750		90 दिन

नियम एवं शर्ते (भाग 1)

01. निविदा संबंधित समस्त दस्तावेज तीन लिफाफा पद्धति पर आमंत्रित होकर तद्अनुसार ही प्रस्तुत की जानी होगी। प्रथम लिफाफा में राष्ट्रियकृत बैंक की ई.एम.डी./एफडी.आर. शपथ पत्र/एवं समस्त दस्तावेज, दुसरे लिफाफे में सिर्फनिविदा प्रपत्र सील बंद कर दोनों लिफाफे को तीसरे लिफाफे में सील बंद कर निविदा रजिस्टण्ड/ स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा। 02. निविदा संबंधी समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम को होगा। विस्तृत जानकारी जोन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 03. जीवित पंजीयत होना अनिवार्य है। 04 तस्ज्ञ 05. GST RI. last xmonth 6. ITR last 3 years 7. Bank Solvency Certificate 08 Pan card संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

नियम एवं शर्ते (भाग 2)

1 नये पंजीकृत ठेकेदार/फर्म हेतु GST Reg. तिथि के अनुसार GST Return last Month का देना होगा ।
2 नये पंजीकृत ठेकेदार/फर्म पंजीयन तिथि के अनुसार I.T.R. एक साल का मान्य होगा । 3 निविदा फार्म कार्यलय से उपलब्ध होगी। शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी ।

घरों से निकलने वाले सूखा और गीला कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक 07
नगर पालिक निगम, रायपुर छ.ग.

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./31934/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31934
वार्ड का नाम-68- डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 68 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR567C00194** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **TIKARAM NISHAD** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SUDHURAM NISHAD** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **TULSI BAI NISHAD** पिता/पति, श्री/श्रीमती **TIKA RAM NISHAD** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-5)
ईदगाहभाठा,नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

पत्र क्रं./31936/न.पा.नि./जोन क्रं.-5/2026
रायपुर दिनांक : 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31936
वार्ड का नाम-68- डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 68 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR567G00719** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **MURTY RAJESH** पिता/पति, श्री/श्रीमती **M.B. MALLESHWAR** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **YOGENDRA PATLE** पिता/पति, श्री/श्रीमती **FATTU LAL PATLE** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - 5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31543/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31543
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226Q00355** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SHIV KUMAR AGRAWAL S/O PREAMCHAND AGRAWAL , USHA AGRAWAL S/O SHIV KUMAR AGRAWAL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SHIV KUMAR AGRAWAL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **अक्षत अग्रवाल** पिता/पति, श्री/श्रीमती **शिव कुमार अग्रवाल** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. / 31542/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31542
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226S00277** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SURENDRA SAHU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **BALKU SAHU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **THELIYA BAI SAHU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SURENDRA KUMAR SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत दानपत्र** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31926/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 09-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31926
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226R0645A** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **M/S NEW RAIPUR INFRAVENTURES , MO. ABID SURYA S/O MO ARIF** पिता/पति, श्री/श्रीमती **MO. ABID SURYA S/O MO ARIF** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **मुक्तिदास गोसाई** पिता/पति, श्री/श्रीमती **संतन दास गोसाई** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31924/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 09-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31924
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226P00962** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **VINITA BALANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SUNIL S. BALANI** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **मयंक अग्रवाल** पिता/पति, श्री/श्रीमती **सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31923/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 09-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31923
वार्ड का नाम- 8 -महात्मा गांधी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 8 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226N0366A** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **NARENDRA KUMAR JAIN S/O INDER KUMAR, SOBHA NARENDRA KUMAR JAIN** पिता/पति, श्री/श्रीमती **INDER KUMAR, SOBHA NARENDRA KUMAR JAIN** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **पूजा अग्रवाल** पिता/पति, श्री/श्रीमती **चंदन कुमार अग्रवाल** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31927/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 09-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31927
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR227V0191A** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **NEERAJ SHRIVASTAV** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LATE R. P. SHRIVASTAV** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1 नीलम श्रीवास्तव 2 अंकिता श्रीवास्तव 3 आरिन श्रीवास्तव** पिता/पति, श्री/श्रीमती **स्वर्गीय नीरज श्रीवास्तव** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **राजस्व प्रकार 6 मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31925/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 09-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31925
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR226V00213** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **MR. HEMANT KUMAR SELOKAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **MR. SHOBHA RAM SELOKAR** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **डंका पुष्पा** पिता/पति, श्री/श्रीमती **डंका देवराज** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-9)
पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /31872/ न.पा.नि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 06-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31872
वार्ड का नाम- 9 -पं. मोती लाल नेहरू वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 9 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR227V0247I** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SHILPA JAIN** पिता/पति, श्री/श्रीमती **NARENDRA KUMAR JAIN** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **रश्मि दुबे** पिता/पति, श्री/श्रीमती **राम अवतार दुबे** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./32012/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32012
वार्ड का नाम- 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR652M1824M** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **JYOTI PODDAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **LATE. GANESH PODDAR** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **JAMAN LAL SAHU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **KALI RAM SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./32009/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32009
वार्ड का नाम- 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR652N00308** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SARSWATI PAL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **NEELKANTH PAL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MOHIT RAM SAHU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SONU RAM SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./31909/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31909
वार्ड का नाम- 52 - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 52 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR446J0387F** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **RAJSHREE SINGH THAKUR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **PRAKASH NARAYAN SINGH** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MAHESH LALWANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SW. DAYARAM LALWANI** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./31908 / न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31908
वार्ड का नाम- 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR652N01188** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **GOUTAM KUMAR OJHA, VIJAY SHANKAR PANDEY** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAJNARAYAN OJHA, RAMPRABHAV PANDEY** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SAVITRI PATEL** पिता/पति, श्री/श्रीमती **JANAK RAM PATEL** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./31882 / न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 10-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31882
वार्ड का नाम- 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR652N00908** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SUDIPTA DHARA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SWADESH DHARA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **PRIYANKA PANDEY** पिता/पति, श्री/श्रीमती **GOVIND KRISHNA PANDEY** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./31640 / न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 11-06-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 31640
वार्ड का नाम- 49 - रानी दुर्गावती वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 49 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR445J00394** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **RAAJENDRA MODI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **S/O KEDAR NATH MODI** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SULBHA GUPTA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **W/O SUSHIL KUMAR GUPTA** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

दैनिक
विश्व परिवार
महानगर
www.dainikvishwapariwar.com
vishwapariwarraipur@gmail.com
रायपुर, शुक्रवार 12 जून 2026

15 जून को होगा रोजगार मेला का आयोजन

दंतेवाड़ा (विश्व परिवार)। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से जारी विज्ञप्ति अनुसार जिले के शिक्षित बेरोजगार युवतियों के लिए सुनहरा अवसर एलआईसी ऑफ इंडिया ब्रांच दंतेवाड़ा के द्वारा प्राप्त रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला हेतु बीमा सखी 60 पदों पर रिक्तियों प्राप्त हुई है। इस संबंध में इच्छुक आवेदिका 15 जून प्रातः 11 से 03 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ बायोडाटा सहित, उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते है।

सुशासन तिहार के अंतिम दिवस भण्डारपुरी धाम में लगा जन समस्या निवारण शिविर, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सुनी आमजन की समस्याए

रायपुर (विश्व परिवार)। प्रदेश सरकार द्वारा 01 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के अंतिम दिवस भण्डारपुरी धाम स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में विशाल जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों एवं आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं, मांगें एवं आवेदन प्रस्तुत किए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री, प्रमाण-पत्र, कृषि उपकरण, किट एवं अन्य लाभों का वितरण किया गया।

इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी ने सभी जनमानस को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा के, विकास के, जनकल्याण के ऐतिहासिक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने एवं भारत के सबसे अधिक समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का गौरव प्राप्त होने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत सभापति गुरु सौरभ साहेब, सहित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि भण्डारपुरी धाम सतनामी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है तथा यह परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की पावन कर्मस्थली के रूप में देशभर में विख्यात है।

सभी 10 जोनों को मिलाकर प्रतिदिन एक करोड़ रूपये का राजस्व वसूलने का लक्ष्य

- दिनांक 30 जून 2026 तक वर्ष 2026-27 का सम्पतिकर अदा करने पर सम्पतिकर में 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ देकर अधिकाधिक राजस्व वसूलने दिए निर्देश

रायपुर (विश्व परिवार)। आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल समयसीमा की बैठक लेकर विभिन्न विषयों पर कार्यो की समीक्षा कर सम्बंधित निगम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. साप्ताहिक टी एल समयसीमा की बैठक में नगर निगम अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, श्रीमती कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता श्री संजय बागड़े, अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, इमरान खान, प्रदीप यादव, जोन कमिश्नरों, उपायुक्तगणों, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं की उपस्थिति रही. आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को नगर निगम रायपुर के सभी बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर उनसे सम्पूर्ण बकाया राजस्व वसूलने नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के पुन: निर्देश दिए हैँ. आयुक्त ने सभी 10 जोनों को मिलाकर प्रतिदिन एक करोड़ रूपये का राजस्व वसूलने का लक्ष्य पुन: निर्धारित कर इसका निगम हित में कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया है. सम्पति करदाताओं को नियमानुसार 6.25 प्रतिशत की सम्पतिकर में छूट का पूर्ण लाभ प्रदान करते हुए अधिकाधिक राजस्व वसूलने नगर निगम हित में करने के सख्त निर्देश पुन: सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैँ.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 'क्षेत्रीय समिति' 27वीं बैठक का आयोजन

रायपुर (विश्व परिवार)। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 27वीं बैठक दिनांक 11.06.2026 को महानदी भवन के सम्मेलन कक्ष में अपरान्ह 11.00 बजे आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता, श्री हिम शिखर गुप्ता, सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने तथा बैठक का संचालन सचिव के रूप में श्री जयवदन इंगले, क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-।, कर्मचारी भ.नि. संगठन ने किया । बैठक में श्री बिधान चंद्र नायक उप केन्द्रीय श्रमाआयुक्त, श्री एन.के. पटनायक एंव श्री रत्नेश राजन्या उप निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नियोक्ता प्रतिनिधि के रूप में श्री महेश कक्कड़, अध्यक्ष, छ.ग. उघोग महासंघ, श्री अश्विन गर्ग, अध्यक्ष, उरला इंडस्ट्रीज एशोसिएशन और श्री राधेश्याम जायसवाल , श्री ईश्वर चंदेल, श्री शंखध्वनि सिंह एवं श्री एच एस. मिश्रा कर्मचारी प्रतिनिधियों के रूप में सम्मिलित हुए । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर की ओर से श्री जयवदन इंगले, क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त- ।, श्री गौरव डोगरा, क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त-।। एवं श्री देबाशीष चांद, क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त-।।, श्री आकाश अग्रवाल, सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने बैठक में भाग लिया । कार्यक्रम में पॉवर प्वांइट प्रस्तुति श्री गौरव डोगरा, क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त-।। ने द्वारा दी गई । उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भविष्य निधि 'क्षेत्रीय समिति' सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक महत्वपूर्ण परामर्शदात्री समिति होती है। दिनांक 11.06.2026 को आयोजित इस बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, छत्तीसगढ़ के कार्य निष्पादन तथा भ.नि. अंशदाताओं/भ.नि.सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भ.नि.अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में रायपुर कार्यालय की उपलब्धियों एवं चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा की गई ।

सुशासन तिहार में मछुआ सहकारी समिति को मिला एनएफडीपी प्रमाण पत्र और मत्स्य जाल

- मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, मछुआरों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर (विश्व परिवार)। सुशासन तिहार 2026 के समापन अवसर पर राज्य सरकार की मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण योजनाओं के तहत सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड स्थित कालामाजन जलाशय में मत्स्य पालन कार्य कर रही आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, कालामाजन को राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम (एनएफडीपी) के अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल प्रदान किए गए। इस पहल से समिति के सदस्यों को आधुनिक मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा ने समिति के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र एवं मत्स्य जाल वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री प्रतिनिधि श्री ठाकुर प्रसाद राजवाड़े ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि राज्य शासन मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, मछुआरों की आजीविका सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र मछुआ समितियों और हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन सूरजपुर के मार्गदर्शन में मत्स्य विभाग द्वारा जिले में मत्स्य विकास संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। कालामाजन जलाशय में कार्यरत समिति को मिली इस सहायता से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ सदस्यों की आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

युवाओं को रोजगार देने के बजाय नशे की गर्त में धकेलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : धनेंद्र

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री धनेंद्र साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री लखन लाल देवांगन का हालिया बयान भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों को बेनकाब करता है। मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार को केवल आबकारी विभाग एवं शराब की बिक्री से लगभग ?10,500 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि महिलाओं के लिए संचालित महतारी वंदन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी राशि शराब की कमाई से उपलब्ध कराई जा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है कि जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए सरकार शराब से प्राप्त आय पर निर्भर होकर गर्व महसूस कर रही है। धनेंद्र साहू ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी को लेकर बड़े-बड़े वादे करती थी, कांग्रेस सरकार के समय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर जनता को भ्रमित करती थी। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद भाजपा की वास्तविक सोच और मंशा प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो चुकी है। प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नए-नए उपाय कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घकालीन कार्यकाल की सफलता के लिए की पूजा अर्चना : किरण सिंहदेव

रायपुर(विश्व परिवार)। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रायपुर शहर जिला इकाई के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने और साथ ही भारतीय राजनीति के इतिहास में सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब के निकट स्थित बैजनाथ धाम में पूजन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया।

म्यूथाई टाइगर फाइटिंग लीग प्रतियोगिता का आयोजन

रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर के प्रगति मैदान में टीम हियाल क्लब द्वारा आयोजित भव्य म्यूथाई टाइगर फाइटिंग लीग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के अद्भुत कौशल, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं खेल भावना देखने लायक था, यह आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत प्रेरणादायक एवं सराहनीय रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉ. वर्णिका शर्मा दीदी जी (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग), आदरणीय श्री सुमित उपाध्याय भैया जी (प्रदेश मंत्री, क्रीड़ा भारती), जोन अध्यक्ष व पार्षद श्रीमती साधना प्रमोद साहू जी, गुरु गोविंद सिंह वार्ड -29 पार्षद कैलाश बेहरा, पार्षद श्रीमती पुष्पा रोहित साहू जी, श्री अनीश मेमन सर जी (महासचिव, छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन), सुश्री अंजना वर्मा दीदी जी, सुश्री अन्नू कंवर जी (संस्थापक, आदिशक्ति नारी उन्नयन संस्था) एवं श्री विशाल हियाल जी (संस्थापक, हियाल क्लब) सहित अनेक सम्मानित अतिथिगण, खेल प्रेमी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे।

रायपुर की यातायात व्यवस्था में नया अध्याय

माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ सांसद बृजमोहन ने दिखाई हरी झंडी

रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर शहर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग और CEEW (Council on Energy, Environment and Water) के संयुक्त तत्वावधान में 'माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट' को हरी झंडी दिखाई गई।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश और ष्टश्वश्वङ्ख के प्रतिनिधि श्री सौरभ उपस्थित रहे।

इस 45 दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर की आवश्यकता को देखते हुए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक ट्रायल नहीं है, बल्कि एक बड़ी कार्ययोजना की शुरुआत है। 45 दिनों के ट्रायल के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे न केवल रायपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

सांसद ने कहा कि रायपुर के भारी ट्रैफिक को देखते हुए ये माइक्रो बसें अत्यंत उपयुक्त हैं। एसी सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल नागरिकों को आरामदायक सफर देंगी, बल्कि सड़कों पर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या को कम कर ट्रैफिक का दबाव भी घटाएंगी। इससे शहर में जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी।

ऑटो चालकों की चिंताओं पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

भक्ति — बसना मंडी प्रांगण में गूंजी भागवत कथा

भक्ति रस में डूबे विधायक डॉ. संपत अग्रवाल खुद को रोक नहीं पाए और झूम उठे

- साध्वी राधिका किशोरी के मुखारविंद से बही ज्ञान की गंगा, विधायक डॉ. अग्रवाल ने पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की

बसना (विश्व परिवार)। महासमुंद जिले के बसना अंतर्गत मंडी प्रांगण में इन दिनों अध्यात्म और भक्ति की अविरल धारा बह रही है। यहाँ भव्य श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. संपत अग्रवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ और भगवान की विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की जनता की सुख, समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की।

मंडी प्रांगण में आयोजित इस भव्य कथा का पाठ सुप्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी राधिका किशोरी जी द्वारा किया जा रहा है। व्यास पीठ से उनके मधुर भजनों और ज्ञानमयी प्रसंगों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। कथा श्रवण के दौरान एक ऐसा भावुक और दिव्य क्षण भी आया जब विधायक डॉ. संपत अग्रवाल भक्ति के सागर में पूरी तरह डूब गए। भजनों की मधुर धुन और संगीतमय प्रस्तुति पर विधायक डॉ. अग्रवाल खुद को रोक नहीं पाए और आम श्रद्धालुओं के साथ कथा पंडाल में झूमने और थिरकने लगे। उन्हें इस तरह भक्ति में लीन देखकर वहां मौजूद हर कोई भावविभोर हो उठा। कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने से मनुष्य के जनम-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्रीकृष्ण की इस लीला का श्रवण करता है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी प्रियेश कुमार जैन द्वारा आसमां पब्लिसर्स इंडिया प्रा.लि. पंजाब नेशनल बैंक के सामने, जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित एवं ओलंपस जिम के पीछे, सेक्टर-1, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक : प्रदीप कुमार जैन, फोन नं. : 0771- 4017966, मो.- 9981924252 RNI.NO.CHHHIN/2013/50354